इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
(इरकॉन पीबीटीएल)

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U45400DL2014GOI272220

चौथी (4) वार्षिक रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2017-18

भारत के विकास में साझेदारी सहित राजमार्ग परियोजनाएं

कंपनी की परियोजना

"भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित समझौता करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण"

निदेशक मंडल

श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक
श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक
सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री एक.के.सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री संजय पोद्दार, मुख्य वित्त अधिकारी
श्री सुदोधनी, कंपनी सचिव

बोर्ड समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति - श्री आनन्द कुमार सिंह, अध्यक्ष
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष
3. सीएआर एवं धारणीयता समिति, सुश्री अनुपमा बेन, अध्यक्ष

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

श्री चैतन्य उद्गिर्कर,
पेशेवर कंपनी सचिव

कंपनी के बैंकर

इंडियन ओवरसीस बैंक, आर.के.पुरम
नई दिल्ली

कंपनी का ईपीसी कांट्रैक्टर

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

सम्पर्क अधिकारी

सुश्री सुदोधनी कंपनी
सचिव
ईमेल आईडी: busi.info.irconpbtl@gmail.com
दूरभाष: 011-26545767, मो.: 9818119256

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली - 110017

विजन एवं मिशन विवरण

विजन

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलौदी खंड की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और विकास तथा इससे राजमार्ग परियोजना प्रयोक्ताओं के लाभ को सुनिश्चित करना और निर्मित टोल प्लाजा से उच्च राजस्व सुनिश्चित करना और कंपनी को इष्टतम समयावधि के भीतर अनुमानित परियोजना परिणामों के निर्धारित मानकों के स्तर तक पहुंचाना।

मिशन

(i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।

(ii) परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालनीकरण की उत्तरदायित्वपूर्ण मॉनीटरिंग करना।

(iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।

(iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

कंपनी का सृजन

कंपनी का शिलान्यास 30 सितंबर 2014 को किया गया था

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार के अनुसार रियायतग्राही के रूप में निगमित

.....

एनएचएआई बीओटी राजमार्ग परियोजना

व्यावसायिक उद्देश्य

<u>परियोजना राजमार्ग का निर्माण, अनुरक्षण, कार्य आरंभ एवं प्रचालन</u>

राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक

चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण

.....

चार लेन: 51.05 किमी और दो लेन: 108.250 किमी

ईपीसी ठेकेदार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)

रियायत अवधि : **26** वर्ष

दिनांक 07.11.2014 को हस्ताक्षरित रियायत करार के माध्यम से परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए विशिष्ट अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायत प्रदान की गई है

वर्तमान परियोजना स्थिति

निर्माण चरण: कार्य निरंतर प्रगतिरत

(प्रचालन और अनुरक्षण चरण सीओडी से आरंभ होगा

निर्माण प्रगति

परियोजना निर्माण कार्य आरंभ : 14 अक्तूबर 2015

परियोजना स्थल पर तीन टोल प्लाजाओं का निर्माण पूरा

परियोजना निर्माण समापन: अक्तूबर-नवंबर 2018

परियोजना के प्रचालनीकरण की संभावित तिथि: दिसंबर-जनवरी 2018

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल

[अंशकालीन (नामिती) निदेशक]

श्री दीपक सबलोक

अध्यक्ष, निदेशक (परियोजना), इरकॉन

श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक
कार्यपालक निदेशक/परियोजना, इरकॉन

श्री आनन्द कुमार सिंह
निदेशक
कार्यपालक निदेशक/वित्त, इरकॉन

श्री राजेन्द्र सिंह यादव
निदेशक
परियोजना निदेशक/जम्मू एवं कश्मीर, इरकॉन

सुश्री अनुपम बेन
निदेशक
मुख्य महाप्रबधक/एचआरएम, इरकॉन

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अजय कुमार सिंह
मुख्य कायपालक अधिकारी

श्री संजय पोद्दार
मुख्य वित्त अधिकारी

सुश्री सुदोधनी
कंपनी सचिव

बीकानेर - फलोदी राजमार्ग परियोजना (ओपीएचपी) के चित्र
[टोल प्लाजा एवं टोल रोड]

बीकानेर - फलोदी राजमार्ग परियोजना (ओपीएचपी) के चित्र
[टोल प्लाजा एवं टोल रोड]

इरकॉन पीबीटीएल की वित्तीय विशेषताएं

(31 **मार्च 2018 को**)

शेयर पूंजी का विवरण	**राशि रूपए में**
प्राधिकृत शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए के 17,50,00,000 शेयर)	**1,75,00,00,000**
अंशदायी एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर)	**165,00,00,000**

31 **मार्च 2017 को इक्विटी शेयर पूंजी**

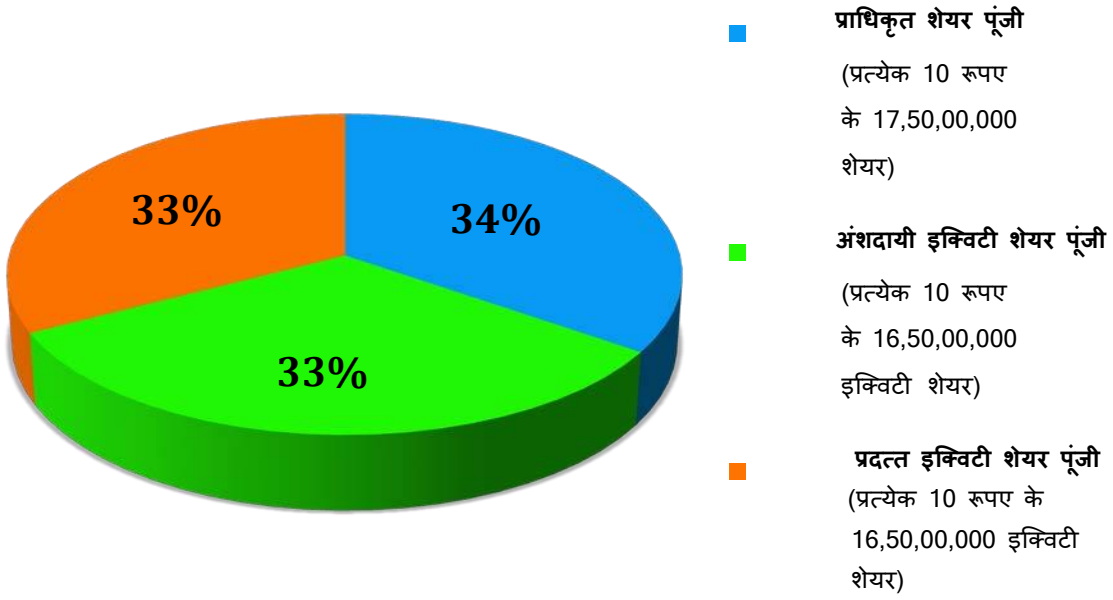

पीठासीन अध्यक्ष का संबोधन

दिनांक 27.09.2018 को आयोजित चौथी वार्षिक साधारण बैठक में

प्रिय गणमान्य शेयरधारकों/सदस्यों

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) की **चौथी वार्षिक साधारण बैठक** में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस वार्षिक रिपोर्ट में दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल है, जिसे आपको परिपत्रित किया गया है और आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा।

कंपनी का परिचय

अपकी कंपनी को राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य सौंपा गया है। निर्माण किए जाने वाले सड़क की कुल लंबाई 159.30 किमी और दो लेनों के समतुल्य 210.35 किमी है।

बीकानेर फलौदी राजमार्ग परियोजना के निष्पादन की स्वीकृत कुल परियोजना लागत (टीपीसी) 844 करोड़ रुपए है, जिसे 165 करोड़ रूपए के इक्विटी शेयर पूंजी, 352 करोड़ प के ऋण पूंजी और 327 करोड रूपए के एनपएचएआई से रोकड़ सहायता में विभाजित है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने परियोजना निर्माण कार्य के लिए 646 करोड़ रूपए की ईपीसी लागत पर ईपीसी ठेकेदार को नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी की बीकानेर फलौदी राजमार्ग परियोजना वर्तमान में निर्माण के अग्रिम चरण पर है, जहां परियोजना निर्माण कार्य उपलब्ध कार्य क्षेत्रों पर प्रगतिरत है। परियोजना निर्माण कार्य के पूरा होने के पश्चात परियोजना आरंभ करने की प्रक्रिया में परियोजना स्थल पर तीन टोल प्लाजा के प्रचालनीकरण और का कार्य शामिल है और इसके पश्चात टोल राजस्व अर्जन आरंभ हो जाएगा।

परियोजना निर्माण

आपकी कंपनी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रहा है कि परियोजना निर्माण कार्यों में बाधा न आए और परियोजना संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए समय-समय पर पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे भूमि संबंधी दायित्व, अतिक्रमण, और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के अंतर्गत अतिरिक्त कार्य निष्पादन (सीओएस)।

इस संदर्भ में, दिसंबर 2018 तक परियोजना के निर्माण को पूरा किए जाने और प्रचालन की व्यावसायिक तिथि (सीओडी) को प्राप्त करने की संभावना है। वर्तमान में, 210 किमी लंबा परियोजना राजमार्ग का कार्य पूरा हो गया है, जिसमें दो आरओबी और 15 किमी लंबाई वाले अवरोध, सीओएस कार्य और आरोबी पहुंचमार्ग शामिल नहीं हैं।

भूमि दायित्व के मुद्दों के कारण, परियोजना निर्माण की अवधि को दिनांक 14 अक्टूबर 2015 की निर्धारित तिथि से 30 महीने (910 दिन) की निर्धारित परियोजना निर्माण अवधि से बढाया गया है, हालांकि, यह रियायतग्राही के रूप में कंपनी की गलती नहीं है।

परियोजना पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, आपकी कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी 165 करोड़ रूपए है, रक्षित ऋण 240.85 करोड़ रूपए है और एनएचएआई से प्राप्त नकद सहायता 122.76 करोड़ की है। परियोजना निर्माण लागतों के निधियन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में अधिक धनराशि प्राप्त होने की संभावना है।

वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी ने दिनांक 23 जुलाई 2018 के अपने इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार दिनांक **31** मार्च **2018** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभ एवं हानि विवरण

में 27754.36 लाख रूप के प्रचालनिक राजस्व को निर्माण संविदाओं के लिए इंड एएस के अनुप्रयोग हेतु संविदागत राजस्व के रूप में स्वीकार किया है।

इसके अतिरिक्त, इरकॉन (परियोजना निर्माण लागत को पूरा करने के लिए) से आहरित ऋण निधियों और उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान एनएचएआई से प्राप्त अनुदान से सृजित ब्याज आय राशि से से प्राप्त 124.94 लाख के कर पूर्व लाभ को प्राप्त हुआ है और कर पश्चात लाभ 82.72 लाख रूपए है।

दिनांक 31 मार्च 2018 को बीकानेर-फलौदी परियोजना पर किया गया पूंजीगत व्यय 27,758.15 लाख रूपए है, जिसे 50,132.56 लाख रूपए के संचित मूल्य से एनाएचएआई के 22,374.42 लाख के संचित रोकड़ सहायता मूल्य से कम करने के पश्चात अमूर्त विकासाधीन परिसंपत्ति शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत इसके संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुपालन और प्रकटनों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी लोक उपक्रम विभाग (डीईपी) द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आगे यह भी नोट किया जाए कि आपकी कंपनी ने दिनांक 12.06.2017 को धारक कंपनी इरकॉन के साथ दूसरे समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके प्रति पूर्णत प्रतिबद्ध है। कंपनी ने पहले समझौता ज्ञापन पर दिनांक 26.07.2016 को हस्ताक्षर किए थे।

समापन टिप्पणियां

मैं यह कहते हुए अपने संबोधन को समाप्त करना चाहता हूं कि इरकॉन आईएसएल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में परियोजना पूरी हो जाए और टोल प्रचालन आरंभ हो जाए तथा हम सर्वोत्तम औद्योगिक पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।

आभारोक्ति

मैं धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को निरंतर समर्थन और सहयोग तथा वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा आभाग प्रकट करता हूं।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड हेतु तथा की ओर से

ह0/-
(अशोक कुमार गोयल)
पीठासीन अध्यक्ष
डीआईएन: 05308809

दिनांक: 27.09.2018
स्थान: नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

विवरण	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	**15-30**
▪ प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) [अनुबंध – I]	40
▪ संबंधित पक्ष संव्यवहारों का प्रकटन (फॉर्म एओसी-2) [अनुबंध – II]	45
▪ सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म एमआर-3) [अनुबंध – III]	47
▪ सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर निदेशक की टिप्पणियां/उत्तर [अनुबंध – III-क]	54
▪ निगमित शरासन पर रिपोर्ट [अनुबंध – IV]	57
▪ डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश अनुपालन प्रमाणपत्र [अनुबंध – IV-क]	66
▪ सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन [अनुबंध – V]	68
▪ सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट [अनुबंध – VI]	70
इंड एएस वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वि.व. **2017-18**)	**72-83**
इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (वि.व. **2017-18**)	**84-131**
▪ दिनांक 31 मार्च 2018 को तुलनपत्र	84
▪ लाभ हानि विवरण	85
▪ रोकड़ प्रवाह विवरण	86
▪ इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	87
▪ लेखा नोट	88-108
▪ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर प्रकटन एवं अन्य विवरणात्मक सूचना	109-131
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उनपर प्रबंधन के उत्तर [इंड एएस वित्तीय विवरणों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वि.व. **2017-18**)	**132-133**

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

कंपनी के सदस्य
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यावसाय तथा प्रचालनों पर चौथी वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

व्यावसायिक परिदृश्य : गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

अपकी कंपनी को अपने मुख्य व्यावसायिक प्रयोजन के रूप मे एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण की परियोजना के निष्पादन के लिए एनएचएआई द्वारा जारी एलओए के अनुसरण में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटड (इरकॉन) द्वरा एसपीवी केक रूप में दिनांक 30 सितंबर 2014 को निगमित किया गया है। निर्माण किए जाने वाले सड़क की कुल लंबाई 159.30 किमी और दो लेनों के समतुल्य 210.35 किमी है।

परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य एनएचएआई द्वारा निर्धारित तिथि यथा 14 अक्टूबर 2015 से आरंभ किया गया था अर्थात निर्माण शुरू करने के लिए एनएचएआई द्वारा सूचित तिथि।

बीकानेर फलौदी राजमार्ग परियोजना कार्य इस समय पूरा होने के अग्रिम चरण में है, जिसके अंतर्गत परियोजना निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध कार्य क्षेत्रों पर कार्य प्रगति पर है। हालांकि, दायित्वों में मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण किमी 90 से किमी 94 के बीच लगभग 4 किमी भू-खंड पर निर्माण कार्य में विलंब की आशंका है।

यह परियोजना वर्तमान में 'निर्माण चरण' में है और परियोजना निर्माण के पूरा होने पर 'प्रचालन एवं अनुरखण चरण' आरंभ किया जाएगा।

बीकानेर-फलौदी परियोजना निष्पादन की नुमोदित कुल परियोजना लागत (टीपीसी) 844 करोड़ रुपए है जिसे निम्नानुसार विभाजित किया गया है: -

1. इक्विटी शेयर पूंजी: 165 करोड़ रुपए
2. ऋण पूंजी (सुरक्षित ऋण): 352 करोड़ रुपए, और
3. एनएचएआई अनुदान (रोकड़ सहायता): 327 करोड़ रुपए

इसके अतिरिक्त, इरकॉन परियोजना निर्माण के लिए 646 करोड़ रूपए की ईपीसी लागत के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

<u>अनुसूचित निर्माण अवधि और वास्तविक निर्माण अवधि - सीओडी/ अनंतिम सीओडी</u>

बीकानेर फलौदी परियोजना के लिए निर्माण पूरा करने की निर्धारित अवधि 910 दिन थी अर्थात दिनांक 14 अक्टूबर 2015 की नियत तारीख से 30 महीने यथा दिनांक 10 अप्रैल 2018 तक।

तदनुसार, अप्रैल 2018 तक परियोजना राजमार्ग का प्रमुख हिस्सा निर्धारित समय के भीतर पूरा हो गया था, किन्तु रियायतग्राही के नियंत्रण से परे के कई मुद्दों के कारण, रियायत समझौते के तहत कार्य के निष्पादन में और इसके पूरा होने में देरी हुई है। इन मुद्दों में भूमि दायित्व मुद्दे, कार्यक्षेत्र (सीओएस) में परिवर्तन के तहत निष्पादित, उपयोगिताओं सामग्री के स्थानांतरण में देरी, भौतिक अवरोध और अतिक्रमण शामिल हैं।

इस संदर्भ में, ऊपर उल्लिखित कारणों से परियोजना निर्माण की अवधि 30 महीने की निर्धारित अवधि से आगे बढ़ गई है जो कि रियायतग्राही कंपनी - इरकॉन पीबीटीएल के कारण नहीं है।

संक्षिप्त में, जैसा कि पहले कहा गया है, लगभग 4 किलोमीटर की दायितव मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण काम पूरा होने में देरी हुई है।

इसप्रकार, 159.30 कि.मी. की कुल परियोजना लंबाई में से शेष 10 कि.मी. का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 6.50 किमी पर कार्य (किमी .61 + 880 पर सड़क उपरिपुल एलसी-06, एलसी-57 के नीचे दायित्व मुक्त भूमि और कार्यक्षत्र में परिवर्तन) संरचना के पूरा होने और एनएचएआई द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात किया जाएगा और 4 किमी दायित्वमुक्त भूमि (विवादित एनोखरा गाँव में) है।

दिनांक 30 सितंबर 2018 तक उपलब्ध कार्य क्षेत्रों पर निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

परियोजना प्रचालन आरंभ (टोलवे प्रचालन का प्रारंभ)

परियोजना संरचनाओं सहित सहित उपलब्ध कार्य क्षेत्रों पर 100% परियोजना निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना प्रचालनिक की जाएगी। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात परियोजना टोलवे प्रचालन आरंभ हो जाएगा।

परियोजना निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात, परियोजना आरंभ कार्य में परियोजना स्थल पर तीन टोल प्लाजा के प्रचालनीकरण का कार्य शामिल है और इन टोल प्लाजाओं के स्थान निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	टोल प्लाजा सं.	स्थल (चेनेज)	लेनों की कुल सं.	सड़क की लंबाई (किमी)
1.	टोल प्लाजा - I	किमी 24.000	10	50-60 किमी
2.	टोल प्लाजा - II	किमी 84.400	8	50-60 किमी
3.	टोल प्लाजा - III	किमी 141.830	8	50-60 किमी

इस संदर्भ में, परियोजना निर्माण कार्य के पूरा होने और परियोजना स्थल पर तीन टोल प्लाजा के प्रचालन के लिए और टोल राजस्व के एकत्रण के लिए एनएचएआई द्वारा प्रचालन की वाणिज्यिक तिथि (सीओडी) के अधिसूचना पर परियोजना आरंभ होने की संभावना है।

प्रचालन की वाणिज्यिक तिथि (सीओडी) / अनंतिम सीओडी को प्राप्त करने की संभावित तिथि दिसंबर, 2018 (टोल प्लाजा का प्रचालनीकरण) है।

<u>परियोजना की प्रगति</u>

क. भौतिक प्रगति

कार्यक्षेत्र में पुलों, पुलियाओं, वीयूपी, पीयूपी और अन्य उपलब्ध कार्यों सहित 159.30 किलोमीटर के सड़क निर्माण का कार्य शामिल है। उपर्युक्त में से, 156.00 किमी का भू-कार्य(97.93%), 154.50 किमी (96.99%) का जीएसबी, 150.00 किमी का डब्ल्यूएमएम (94.16%), 149.11 का डीएमी(93.60%) और 108.50 किलोमीटर का बीसी (68.11%) कार्य दिनांक 31.50.2018 को पूरा हो गया है। दिनांक 31.03.2018 को परियोजना की समग्र प्रगति 79.15% है।

ख. वित्तीय प्रगति

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने परियोजना निर्माण लागत को पूरा करने के लिए 352 करोड़ रूपए की स्वीकृत ऋण राशि के प्रति 160.85 करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने 80 करोड़ का ऋण (165 करोड़ रूपए की संपूर्ण इक्विटी के प्रयोग के पश्चात) प्राप्त किया है। शेष ऋण राशि 111.15 करोड़ रूपए है।

दिनांक 31.03.2018 तक एसबीआई की मूल दर + 0.5% प्रतिवष्र की दर से ब्याज का पुनर्भुगतान 111.15 करोड़ रूपए है जो निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के रूप में है।

2. 223.74 करोड़ रूपए की देय राशि में से एनएचएआई से प्राप्त अनुदान (रोकड़ सहायता के रूप में) 122.76 करोड़ है।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय 277.54 करोड़ रूपए है और दिनांक 31 मार्च 2018 को संचित पूंजीगत व्यय 277.58 करोड़ है।

वित्तीय निष्पादन

(इंड एएस वित्तीय विवरण)

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के इंड एएस लेखापरीक्षितवित्तीय विवरणों के अनुसार : -

1. इक्विटी शेयर पूंजी दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 16,500 लाख रूपए पर समान रही। कंपनी के ऋण पिछले वर्ष के 8,000 लाख रूपए की तुलना में बढकर 24,085 लाख रूपए हो गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने दिनांक31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए 27,754.36 लाख रूपए के टर्नओवर (प्रचालन से राजस्व) को इंड एएस-11 - निर्माण संविदाएं के रूप में स्वीकार किया है।

3. कंपनी ने उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान इरकॉन से प्राप्त ऋण निधि (परियोजना निर्माण लागत को पूरा करने के लिए) और एनएचएआई से प्राप्त अनुदान से उत्पन्न ब्याज आय के कारण 31 दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 124.94 लाख रूपए करपूर्व लाभ (पीबीटी) और और 82.71 लाख रूपए कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

4. इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास 31 मार्च 2018 तक 27,758.15 लाख रूपए मूल्य की विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां थी, जो कि 50,132.56 लाख रूपए (वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना निर्माण पर व्यय) की संचयी राशि में से 22,374.42 लाख की एनएचएआई से अर्जित नकद सहायता के मूल्य को कम करने के पश्चात है।

इंड एएस लेखापरीक्षित विवरणों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सारबद्ध वित्तीय स्थिति नीचे तालिकाबद्ध है: -

(रूपए लाख में**)**

क्र.सं.	विवरण	**31.03.2018** को समाप्त वर्ष हेतु
		(लेखापरीक्षित)
सुरक्षा और वित्तीय स्थिति		
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	17,500
2.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	16,500
3.	अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि एवं अतिरेक सहित)	392.94
4.	धारक कंपनी से ऋण (कर्ज)	24,085
5.	विकासाधीन अमूर्त संपत्ति (बीकानेर फलौदी राजमार्ग के निर्माण पर होने वाला व्यय) [संचयी मूल्य]	27,758.15
6.	प्रावधान (सीएसआर प्रावधान)	7.49
लाभ और हानि की स्थिति		
1.	**प्रचालन से राजस्व**	**27,754.36**
2.	अन्य आय	126.93
3.	**कुल आय (1 + 2)**	**27,881.29**
4.	कुल व्यय	27,756.35
5.	**कर पूर्व लाभ (3-4)**	**124.94**
6.	कर व्यय (चालू कर + आस्थगित कर)	42.23
7.	**कर पश्चात लाभ**	**82.71**
8.	**सकल परिसंपत्ति**	**16,892.94**
9.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**	**0.05**

परियोजना रोकड़ प्रवाह

वर्ष के दौरान परियोजना की गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह निम्नानुसार हैं: -

व्यावसायिक गतिविधियों से नकदी प्रवाह (वित्त वर्ष 2017-18)

(रूपए लाख में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2018 को**	**31 मार्च 2017 को**
1।	**प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ	124.94	82.71
	समायोजन: -		
	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	0.26	0.18
	ब्याज आय	(126.93)	(87.93)
	प्रावधान - सीएसआर	3.36	4.13
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन (क) पूर्व प्रचालन लाभ	**1.64**	**(0.92)**
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन और कर भुगतान के लिए समायोजन (+ / -)	(7,909.90)	(3564.18)
	प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न निवल रोकड़ (क)	**(7,908.26)**	**(3565.10)**
2।	**निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	प्रगतिरत पूंजी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(0.18)	(0.35)
	अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(5,379.94)	(17,788.96)
	प्राप्त ब्याज	126.93	87.93
	निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ (ख)	**(5,253.20)**	**(17,701.37)**
3।	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	ऋण	16,085.00	8,000.00
	इक्विटी शेयर जारी किए	-	7,500
	संव्यवहार लागत	-	(7.50)
	वित्तीयन स्रोतों से निवल रोकड़ (ग)	**16,085.00**	**15,492.50**
	कुल सृजित रोकड़ प्रवाह (क) + (ख) + (ग)	**2,923.55**	**(5,773.97)**

उपर्युक्त तालिका स्पष्ट रूप से कंपनी के वित्तीय विवरणों का भाग के रूप में इंड एएस -7 (रोकड़ प्रवाह विवरणों) में निर्धारित अनुसार "अप्रत्यक्ष विधि" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है।

एनएचएआई अनुदान

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एनएचएआई से अनुदान प्राप्त किया है, जैसा कि पहले कहा गया है, जो की 223;74 करोड़ रूपए की देय या संचित राशि के प्रति 122.76 रूपए मूल्य की रोकड़ सहायता के रूप में है और इसे "अन्य वित्तीय परिसंपत्त्यिां" शीर्ष के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। 223.74 करोड़। 100.98 करोड़ रूपए की बकाया राशि को "अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां" शीर्ष के अंतर्गत स्वीकार किया गया है।

यह राशि एनएचएआई द्वारा स्वीकृत 327 करोड़ के कुल स्वीकृत अनुदान (रोकड़ सहायता) के में से है; जो 844 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत में से कंपनी द्वारा किए गए परियोजना व्यय से संबंधित है।

यह रोकड़ सहायता एनएचएआई के साथ आपकी कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित रियायत समझौते के अनुच्छेद-25 के अनुसार प्राप्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि “327 करोड़ के समान एकमुश्त अनुदान के माध्यम से नकद सहायता इक्विटी सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। रियायतग्राही द्वारा इक्विटी के प्रयोग के पश्चात उसे इक्विटी सहायता देय तथा भुगतानयोग्य होगी, और परियोजना पर खर्च की गई ऋण राशि के अनुपात में संवितरित की जाएगी।

पूंजी संरचना

(परियोजना वित्तपोषण)

844 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) के वित्तपोषण के संबंध में यथास्वीकृत कंपनी की पूंजी संरचना को निम्नानुसार विभाजित किया गया है: -

(i) इक्विटी शेयर पूंजी : 165 करोड़ रूपए;

(ii) ऋण पूंजी: 352 करोड़ रूपए; तथा

(iii) एनएचएआई (नकद सहायता) से अनुदान : 327 करोड़ रूपए।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ('इरकॉन') - होल्डिंग कंपनी, ने दिनांक 23 फरवरी 2015 को आयोजित अपनी 216वीं बोर्ड की बैठक में इरकॉन पीबीटीएल को 352 करोड़ के ऋण अंशदान और तत्पश्चात 160 करोड़ के इक्विटी अंशदान योगदान (इसके निगमन के समय 5 करोड़ के आरंभिक निवेश के अतिरिक्त) को स्वीकृति प्रदान की है ।

इरकॉन से अनुमोदित निवेश के संदर्भ में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 165 करोड़ रूपए की पूरे इक्विटी शेयर को पूंजी को रोक दिया था। इसके अतिरिक्त, इरकॉन के साथ क्रमश: दिनांक 30 अप्रैल 2015 और दिनांक 18 मई 2015 को हस्ताक्षरित 'ऋण समझौते' और 'ऋण समझौते के लिए पूरक और संशोधन समझौते के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इरकॉन से 160.85 करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त किया था जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 80 करोड़ रूपए का ऋण लिया गय था।

इरकॉन पीबीटीएल ने आज की तिथि के अनुसार, इरकॉन से 517 करोड़ के स्वीकृत निवेश के प्रति 405.85 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त की है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: -

क्र.सं.	**विवरण**	**रूपए करोड़ में**	
		कुल स्वीकृत निवेश	**कुल प्राप्त निधियां (आज की तिथि तक)**
धारक कंपनी से निवेश - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड			
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	165	165
2.	ऋण पूंजी (रक्षित ऋण) (ब्याज दर: एसबीआई बेस रेट + 0.5% प्रति वर्ष)	352	240.85
	इरकॉन से कुल पूंजी अंशदान (1 + 2)	**517**	**405.85**

इसके अतिरिक्त, इरकॉन पीबीटीएल को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एनएचएआई से 122.76 करोड़ रूपए की राशि (रोकड़ सहायता) का अनुदान प्राप्त हुआ है (जैसा कि 'एनएचएआई अनुपदान' पर पैरा में कहा गया है)।

इस प्रकार, आज की तिथि को कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	**विवरण**	**रूपए करोड़ में**	
		कुल स्वीकृत परियोजना निवेश	**अब तक प्राप्त राशि**
धारक कंपनी से निवेश - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड			
1।	इक्विटी शेयर पूंजी	165	165
2।	ऋण पूंजी (रक्षित ऋण) (ब्याज दर: एसबीआई बेस रेट + 0.5% प्रति वर्ष)	352	240.85
3।	**इरकॉन से कुल पूंजी अंशदान (1 + 2)**	**517**	**405.85**
एनएचएआई से अनुदान (सशर्त इक्विटी सहायता)			
4।	**एनएचएआई से रोकड़ सहायता**	**327**	**210.46**
	कुल राशि (3 + 4)	**844**	**612.20**

राइट इश्यु

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (' इरकॉन ') को राइट आधार पर इक्विटी शेयरों का आवंटन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**आवंटन की तिथि (बोर्ड बैठक की तिथि)**	**जारी और सब्सक्राइब किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या #**	**शेयरों का प्रदत्त मूल्य (रूपए में)**
1.	2014-15	29.10.2014	50,00,000	5,00,00,000
2.	2015-16	29.04.2015	8,50,00,000	85,00,00,000
3.	2016-17	22.07.2016	5,00,00,000	50,00,00,000
4.	2016-17	17.10.2016	2,50,00,000	25,00,00,000
		कुल	**16,50,00,000**	**165,00,00,000**

इस प्रकार, कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रति 10 रूपए राशि के 16,50,00,000 इक्विटी शेयरों जारी किए हैं।

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) को बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंध-I के रूप में संलग्न किया गया है।

महिला निदेशक की नियुक्ति

कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 149 (1) के प्रावधानों के अनुसार,100 करोड़ रूपए या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी के लिए अपने बोर्ड में एक महिला निदेशक को नियुक्त करना आवश्यकता है।

तदनुसार, धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) से नामांकन प्राप्त होने के अनुसारण में दिनांक 07 जुलाई 2017 से इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में महिला निदेशक के रूप में सुश्री अनुपम बेन, डीआईएन: 07797026 को नामिति निदेशक के रूप में नियुक्ति कि गया था।

दिनांक 13 जून 2017 को आयोजित 21वीं बोर्ड बैठक में इरकॉन पीबीटीएल में महिला निदेशक के रूप में उनके नामांकन को नोट किया गया था।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

<u>निदेशक:</u>

कंपनी के संगम अनुच्छेद (एओए) के अनुच्छेद 49 के अनुसरण में, आपकी कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

इस संदर्भ में, धारक कंपनी ने अब तक, इरकॉन पीबीटीएल के निदेशक मंडल में पांच गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों को नामित किया है। उक्त निदेशकों की नियुक्ति को उनकी सहमति की तिथि से इरकॉन पीबीटीएल के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए प्रभावित किया गया है।

इरकॉन पीबीटीएल के निदेशकों का विवरण निम्नलिखित है: -

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति की तिथि	डीआईएन/पीएएन सं.
1.	श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष	30.09.2014	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक	30.09.2014	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक*	21.07.2016	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक**	03.03.2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक**	09.06.2017	07797026

<u>प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):</u>

कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 3 के अनुसरण में, कंपनी में निम्नानुसार तीन प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं:-

क्र.सं	कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	केएमपी के पदनाम	नियुक्ति तिथि	केएमपी में पदनामन तिथि	पेन न.
1.	श्री अजय कुमार सिंह	मुख्या कार्यपालक अधिकारी	27.02.2015	23.03.2016	ARLPS4997C
2.	श्री संजय पोदान	मुख्य वित्त अधिकारी*	20.02.2018	20.02.2018	AFNPP1856R
3.	सुश्री सुदोधनी	कंपनी सचिव	17.03.2015	17.03.2015	CLPPS8601B

* सुश्री तंजीत कौर को कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 17 अक्टूबर 2016 को उन्हें मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया था। उन्होंने दिनांक 15 मार्च 2017 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और केएमपी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त श्री नन्द किशोर झा को मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया और दिनांक 29 जून 2017 को केएमपी के रूप में पदनामित किया

गया। । उन्होंने दिनांक 11 अक्तूबर 2017 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और केएमपी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया था।

दिनांक 20 फरवरी 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 25वीं बैठक में निदेश मंडल द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के परिणामस्वरूप श्री संजय पोद्दार को कंपनी के प्रमुख वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उक्त तिथि से प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में पदनामित किया गया था।

निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

अनुच्छेद 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उनकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उनकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम-4 के साथ के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की

स्वामित्व सहायक कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है और तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को दिनांक 5 जुलाई 2017 से प्रभावी की गई है।

तथापि, डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश 2010 की प्रयोज्यता के कारण, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करने की आवश्यकता अभी भी लागू है और इसके लिए स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति का मुद्दा उत्पन्न होती है। इस प्रकार, इस कारण से उक्त घोषणा प्राप्त करने की आवश्यकता लागू होती है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता के संबंध में धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को पिछले कई अवसरों पर सूचित किया गया है, क्योंकि कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार उक्त शक्ति धारक कंपनी के पास है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की उक्त प्रयोज्यता के संबंध में निदेशक मंडल ने 18 जुलाई 2018 को आयोजित अपनी 27वीं बोर्ड बैठक में विधिवत रूप से नोट किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मसौदा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और मसौदा निगमित शासन अनुपालन प्रमाणपत्र को नोट किया जा रहा था।

बोर्ड द्वारा यह नोट किया गया था कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की उक्त आवश्यकता, के संबंध में धारक कंपनी, इरकॉन को पुन: विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा।

तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तब की जाएगी जब धारक कंपनी इनकी नियुक्ति करेगी और इस प्रकार की नियुक्ति को स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त करने के साथ बोर्ड को अधिसूचित किया जाएगा।

अंतर निगमित ऋण और निवेश (अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186)

निदेशकों, कॉरपोरेटों तथा अन्य निकायों को ऋण तथा निवेश कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186 द्वारा शासित होते हैं। इन प्रावधानों में दिए जाने वाले ऋण के प्रतिशत तथा निवेश की शर्तों को निर्धारित किया गया है।

आज की तिथि तक कंपनी ने कोई अंतरनिगमित ऋण या निवेश नहीं किया है और इस प्रकार आज की तिथि को संव्यवहार शून्य है।

प्रमोटरों की शेयरधारिता का पैटर्न

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, इसलिए इसकी सम्पूर्ण इक्विटी शेयरधारिता रेल मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार के उपक्रम यथा इसकी प्रमोटर कंपनी इरकॉन के पास है।

वर्तमान में, कंपनी के पास **175 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी में से 165 करोड़ रुपए** की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी है, जैसा कि पूर्व में कंपनी की पूंजी संरचना में इंगित किया गया है, और 100% इक्विटी इरकॉन और इसके 09 नामिति शेयरधारकों के नाम पर धारित है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: -

इरकॉन पीबीटीएल की मौजूदा शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारक का नाम	**धारित इक्विटी शेयरों की संख्या**	**धारित इक्विटी शेयरों का कुल मूल्य**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिती (प्रति 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर)	16,50,00,000	165,00,00,000	100%
कुल	**16,50,00,000**	**165,00,00,000**	**100%**

वार्षिक रिपोर्ट का सार - एमजीटी-9

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम,2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का वेब-लिंक धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष वार्षिक रिटर्न को दायर करने के पश्चात इसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और तत्पश्चात इसे सदस्यों और स्टेकधारकों द्वारा देखा जा सकता है।

वार्षिक रिटर्न का उक्त वेबलंक निम्नानुसार है:

http://ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=611&lang=en

संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी)

[कंपनी (बोर्ड की बैठके और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 188 - संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं]

कंपनी के प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधन या उनके संबंधितयों के साथ कोई सामग्रीगत महत्वपूर्ण पक्ष संव्यवहार नहीं हैं, जिनसे कंपनी के हितों के साथ संभावित गतिरोध हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए पक्ष संबंधी संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर थे और वे व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया के रूप में थे।

तदनुसार, कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) के अनुसार अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

लाभांश और आरक्षित निधियां

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए तुलनात्मक तुलनात्मक आंकड़ों सहित वित्तीय वर्ष 2016-17 के इंड एएस वित्तीय विवरणों के अनुसार, 'आरक्षित निधि एवं अतिरेक शेष' को अब प्रतिधारित आमदनियों के रूप में तुलन पत्रमेंअन्य इक्विटी शीर्ष के अंतर्गततथाकर पश्चातनिवल लाभ को अब

कुल वृहत आय (उक्त अवधि के लिए लाभ या (हानि) और अन्य वृहत आय सहित) केक रूप में प्रदर्शित किया गया है।

आपकी कंपनी ने तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, 392.94 लाख रुपए की राशि का प्रतिधारित अर्जन प्राप्त किया है जो पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, 310.23 लाख रूपए था जो कंपनी की आरक्षित निधि और अतिरेक का भाग है।

इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी के परियोजना प्रचालन वर्तमान में शून्य प्रचालनिक आय के साथ निर्माण अवस्था में हैं (अर्थात ऐसी कोई ब्याज आय नहीं है जो कुल वृहत आय में शामिल की गई है), कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए किसी प्रकार के लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है।

जमा राशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण, ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा आउटगो

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजमार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई द्वारा निर्धारित अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। रियायतग्राही के रूप में कंपनी द्वारा पूरे किए जाने की शर्त के भाग के रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिरियम, वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों को विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है।

विदेशी आमदनी और आउटगो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी विशुद्ध रूप से एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई बीओटी आधारित परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों पर सांविधिक और सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षक, फर्म संख्या 00044एन, पंजीकृत कार्यालय - 23, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली-110001 थे। दिनांक 23.07.2018 के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शून्य आपत्तियां थीं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है और टिप्पणियां, यदि कोई हो, को इन टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर सहित एजीएम में प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्तीय विवरणों के लिए निदेशक के अवलोकन और टिप्पणियां (लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में की गई किसी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण)

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्श के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों की दोहरी प्रविष्टी प्रणाली के आधार पर लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें लाभ और हानियों को संचित आधार पर लेखांकित किया जाता है, जरनल में अंकित हरएक संव्यवहार, ट्रायल शेष का निष्पादन, त्रुटियों का शुद्धिकरण और लेखों के शेष को बही में पोस्ट किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने गहनता से अपनी रिपोर्ट में सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है और इसे लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए शून्य अर्हताओं सहित पूर्णत: व्यवस्थित पाया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, यदि कोई हो और उन पर निदेशक की टिप्पणियां/प्रबंधन के उत्तर को कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में प्रस्तुत किया जाएगा।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के संदर्भ में आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक, एसएस-1 (निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) हैं।

कंपनी आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों का सख्त से अनुपालन कर रही है और नियमित रूप से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है: -

1. बोर्ड और समिति की बैठकों और सामान्य बैठकों के नोटिस जारी करना
2. कार्यसूची भेजना, और निदेशकों को कार्यसूची नोट भेजना
3. कार्यवृत्त का रखरखाव और हस्ताक्षर
4. मसौदा कार्यवृत्त का परिपत्रण
5. उपस्थिति रजिस्टर
6. परिपत्रण द्वारा प्रस्ताव पारित करना और
7. कार्यवृत्त की विषयवस्तु

लागू कानूनों के अनुपालन पर सचिवीय लेखापरीक्षा तथा सचिवीय लेखापरीक्षा अवलोकनों पर निदेशक की टिप्पणियां

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014, के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-204 के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री चैतन्य उदगीरकर, (होल्डिंग एसोसिएट सदस्यता संख्या ए49740 और प्रैक्टिस प्रमाणपत्र (सीओपी) सं.18161), कंपनी के सचिव और मैसर्स लिगासिस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के पेशेवर साझेदार को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

निर्धारित प्रारूप एमआर-3 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध-III** पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित प्रमुख अवलोकन इस प्रकार हैं: -

(क) स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति; तथा

(ख) स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में बोर्ड समितियों का गठन।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 18 जुलाई 2018 को आयोजित 27वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर निदेशककी टिप्पणिया या उत्तर अनुबंध-।।। क पर संलग्न हैं।

निदेशक मंडल ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि चूंकि कंपनी रेल मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई कंपनी है, डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन अनिवार्य है, और उक्त सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा अर्हताएं उक्तदिशानिर्देशों से ही संबंधित हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी उपयुक्तता

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएससी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, में प्रावधान है कि लेखा परीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट उल्लेख किया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित विषय के संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखपरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट की शर्तों के अनुसार यथापेक्षित इसके सभी सामग्रीगत पहलुओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) विद्यमान है, जैसा कि समान रूप से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटक उपयुक्त पाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों पर विचार करने और अनुमोदन करने के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 18 जुलाई 2018 को आयोजित अपनी 27वीं बोर्ड बैठक में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की समीक्षा की है और नोट किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) विद्यमान है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अध्याय 3 के पैरा 3.6 के अनुपालन में, 'जोखिम के तत्वों, यदि कोई हो, की पहचान सहित कंपनी के लिए जोखि प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन को दर्शाने वाले एक विवरण को बोर्ड की रिपोर्टके भाग के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, चूंकि कंपनी एक **रियायतग्राही कंपनी** है, जो बीकानेर-फलोदी परियोजना के निष्पादन के लिए बनाई गई है, इस परियोजना से संबंधित जोखिम तत्वों की पहचान निम्नानुसार की गई है: -

परियोजना से संबंधित जोखित तत्व

क्र.सं	**जोखिम तत्व**	**विवरण**
1	**निर्माण अवधि**	प्रचालनों की अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि (सीओडी) में विलंब सहित नियंत्रित किए जाने वाले प्रमुख कारक निमाण अवधि में विलंब है। इसके अतिरिक्त, दायित्व मुक्त कार्यस्थल की अनुपलब्धता के कारण, निर्माण कार्य में विलंब होने की संभावना है।
2	**ऋण सेवा अनुपात**	कंपनी को त्रुटि के जोखिम को कम करने के लिए समय पर ऋण के पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
3	**यातयात संबंधित राजस्व जोखिम**	वाणिज्यिक यातायात से राजस्व संभाव्यता अधिक है किन्तु यह आर्थिक चक्रों में उच्चावचन के मद्देनजर है।

इसके अनुसरण में, कंपनी ने दिनांक 03 जनवरी 2017 को आयोजित अपनी 19वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित उल्लेखनीय बिंदुओं सहित कंपनी के लिए **"जोखिम प्रबंधन नीति"** तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की है: -

(i) इरकॉन की नीति के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी।

(ii) कंपनी विशिष्ट कारकों को अधिक महत्व दिया जाएगा।

(iii) अन्य एनएचएआई बीओटी परियोजनाओं के जोखिम कारकों की समीक्षा की जाएगी।

कर्मचारी पारिश्रमिक पर प्रकटन

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-197 के अनुसरण में, कंपनी के किसी भी कार्मिक को प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या प्रति माह 5,00,000/- रूपए से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** के रूप में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स अरूण गुप्ता एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन हेतु प्रमाणपत्र **अनुबंध-IVक** के रूप में संलग्न है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनच्छेद 138 के अनुसार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रूपए या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों को एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना अपेक्षित है।

तदनुसार, मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, जिसका कार्यालय 18/19, ओल्ड राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 है, को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सांविधिक लेखापरीक्षक (वित्तीय वर्ष: 18-19)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी, संनदी लेखाकार, फर्म पंजीकरण

सं. 000044एन, पंजीकृत कार्यालय- 23, भाई वीर सिंह मार्ग, कोल मार्किट, नई दिल्ली-110001 को नियुक्त किया गया है।

कंपनी के बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईसीबी), जिसका शाखा कार्यालय: प्रथम तल, बालिका भवन, ब्लॉक बी, सेक्टर 13, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 में है, कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्क्रो खाता खोलने और साविधि जमा (एफडी) के अनुरक्षण की सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से कंपनी के लिए एकमात्र बैंकिंग साक्षेदार के रूप में कार्य कर रहा है।

सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां

आज की तिथि को कंपनी की कोई सहायक, संबद्ध या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल (इरकॉन) के साथ दिनांक 12.06.2017 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पूंजीगत व्यय, बिटुमस कंक्रीट (बीसी) के समापन और डेंस बिटुमस मेकेडम (डीबीएम) के समापन की दृष्टि से निष्पादन मूल्यांकन मापदंड को निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 26.07.2016 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) में हस्ताक्षर किए गए थे।

आपकी कंपनी ने समझौता ज्ञापन निष्पादन मूल्यांकन मापदंड की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित एमओयू लक्ष्यों को पूरा करने के हर संभव प्रयास किए हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान)अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन महिला कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन पर लाग होता है। यदि एक संगठन में

कुल कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है तो, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 4 की शर्तों के अंतर्गत **"आंतरिक शिकायत समिति"** का गठन अपेक्षित है।

इसके संदर्भ में, इरकॉन पीबीटीएल की 18वीं बोर्ड बैठक में कार्यस्थल में महिलाओं के **यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)** के गठन पर चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इसकी कार्यव्यवस्था के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तों और कार्यविधियों व प्रक्रियाओंके अनुरूप इस समिति का गठन किया जाए।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

(i) प्रमुख नीतियां और विनियमन:-

कंपनी अपने अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा उनकी संबंधित क्षमताओं में कार्मिकों को प्राधिकृत करने की दृष्टि से धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही नीतियों की तर्ज पर नीतियों का अनुसरण करती है।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी- इरकॉन के पास है, केवल अतिरिकत, वैकल्पिक या नैमेतिक निदेशकों को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 के अनुसार अध्यक्ष कंपनी के किसी महत्वपूर्ण विषयों पर धारक कंपनी - इरकॉन का निर्णय मान्य होगा, जिसे अध्यक्ष महसूस करे कि धारक कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाना है।

(ii) लेखापरीक्षित इंड एएस वित्तीय परिणाम

कंपनीके लेखापरीक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2018 को पुलन पत्र, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, सारांशित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखा टिप्पणियां और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, जिसे दिनांक 18 जुलाई, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

(iii) सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) - श्री अजय कुमार सिंह तथा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) - श्री संजय पोदार ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के मामलों की सही और वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है और सभी सामग्रीगत सूचनाएं उपलब्ध कराता है। उक्त प्रमाणपत्र **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 24.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – I

अनुबंध-I

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

(i) औद्योगिक संरचना और विकास

सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढा है जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचपीडी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (एनएच-15) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन - 100% धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस परियोजना में विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

(ii) शक्तियां और कमजोरियां

- **शक्तियां**

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर संड़क संपर्कता और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

- **कमजोरियां**

(i) प्रकृति में परिवर्तन का नुकसार है।.

(ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर आउटपुट प्रदान करने के संबंध में कुशलता की समस्याएं होती हैं।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

(iii) अवसर तथा जोखिम

- **अवसर**

(i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदत्ता बढी है।

(ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अवधि में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

- **जोखिम**

  (i) राजमार्ग परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से न केवल परियोजना लागत में वृद्धि होगी बल्कि सीमित रियायत अवधि और ब्याज भुगतानों के संवर्धित बोझ के कारण राजस्व भी प्रभावित होंगे।

  (ii) बीओटी परियोजनाओं में, इनपुटों को अनुमानित स्तरों पर अनुरक्षित रखा जाना होता है और उतारचढाव की कम संभावना के साथ यातयात के पूर्वानुमानों को प्राप्त किया जाना होता है।

  (iii) भूमि दायित्व मुद्दे के कारण प्राधिकरण- एनएचएआई से रियायतग्राही कंपनी को भूमि सौंपनेमें विलंब हुआ।

(iv) आउटलुक (परिदृश्य)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना "राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

(v) जोखिम और चिंता

- कार्यनिष्पादन प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- निर्माण परियोजनाओं के लिए मौजूदा जोखिम आकलन मॉडल विकसित देशों में अनुसरण की जा रही पद्धतियों के अनुरूप नहीं हैं।

(vi) **प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा**

धारक कंपनी के साथ परामर्श करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय संरचना, प्रचालनिक राजस्व, लागतों और कंपनी के तुलनपत्र पर इसके परिणामों को दर्शाते हुए वित्तीय मॉडल विकसित किया है।

कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 से 30 महीनों के अनुमानित समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा हाने के पश्चात राजस्व का अर्जन आरंभ करेगी और ब्याज तथा मूल के पुनर्भुगतान का दायित्व अप्रैल

2018 से आरंभ होगा, जिससे कंपनी को धारक कंपनी से लिए गए 352 करोड़ रूपए के लिए ऋण के लिए पर्याप्त वित्तीय बचाव प्राप्त हो जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है

वित्तीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण
(वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2016-17)

क्र.सं	विवरण	**31.03.2018** को समाप्त वर्ष हेतु	**31.03.2017** को समाप्त वर्ष हेतु
		(लेखापरीक्षित**)**	**(**लेखापरीक्षित**)**
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	17,500	17,500
2.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	16,500	16500
3.	अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि एवं अतिरेक सहित)	392.94	310.23
4.	धारक कंपनी से ऋण (कर्ज)	24,085	8,000
5.	विकासाधीन अमूर्त संपत्ति (बीकानेर फलौदी राजमार्ग के निर्माण पर होने वाला व्यय) [संचयी मूल्य]	27,758.15	22,378.20
6.	प्रावधान (सीएसआर प्रावधान)	7.49	4.13
1.	**प्रचालन से राजस्व**	**27,754.36**	**17,788.96**
2.	अन्य आय	126.93	87.93
3.	**कुल आय (1 + 2)**	**27,881.29**	**17,876.89**
4.	कुल व्यय	27,756.35	17,794.18
5.	**कर पूर्व लाभ (3-4)**	**124.94**	**82.71**
6.	कर व्यय (चालू कर + आस्थगित कर)	42.23	28.93
7.	**कर पश्चात लाभ**	**82.71**	**53.77**
8.	**सकल परिसंपत्ति**	**16,892.94**	**16,810.23**
9.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**	**0.05**	**0.04**

*** नोट: सभी आय तथा व्ययों को संचित आधार पर रिकार्ड किया गया है और चालू प्रचालनिक व्यय शून्य है।**

(vii) नियुक्त लोगों सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों में महत्वपूर्ण गतिविधियां

कंपनी के पे-रोल को धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से सेकेंडमेंट या नामांकन आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), और एओएस/ एचआरएम है।

कंपनी सचिव और लेखा सहायक को कंपनी द्वारा सीधे नियुक्त किया गया है। ये कार्यपालक या अधिकारी या अन्य कनिष्ठ कर्मचारी कंपनी के कार्यपालक कार्यों, वित्तीय मामलों, अनिवार्य अनुपालन और प्रकटीकरण, प्रशासन और मानव संसाधन विकास संबंधी मामलों से निपटने के लिए कार्यरत हैं।

इरकॉन द्वारा 13 अन्य कर्मचारियों को कंपनी में नियुक्त किया गया है, जो राजस्थान के बीकानेर परियोजना स्थल पर तैनात हैं।

अनुबंध – II

फार्म सं. एओसी-2

अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु)

****

I) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संविदा या व्यवस्थाओंया संव्यवहारों में प्रवेश नहीं किया गय है जो आर्म लैंथ आधार पर न हों।

II) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :

क्र.सं.	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1.	**ईपीसी करार** (परियोजना सुविधाओं के विकास सहित प्रदान किए गए कार्य के कार्यक्षेत्र के अनुसार चार या दो लेन	ईपीसी करार के निष्पादन की तिथि: 19 जनवरी, 2015	परियोजना राजमार्ग के विकास के निष्पादन के लिए 646 करोड़ रूपए के मूल्य हेतु संविदा को निष्पादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान	5 जनवरी, 2015 तथा 29 अप्रैल, 2015	शून्य (आज की तिथि को)

	परियोजना राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिए परियोजना के निष्पादन हेतु ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रूप में नियुक्त किया गया है।	अनुमानित अवधि: 30 माह (ईपीसी कांट्रैक्टर द्वारा निर्माण की अवधि) **सतत संव्यवहार**	इसके लिए इरकॉन को प्रदत्त कार्य व्यय 53.44 करोड़ रूपए है।		
2.	**ईपीसी करार में संशोधन (मूल ईपीसी करार के भाग का सृजन)** ईपीसी करार का शुद्धिपत्र सं.1, शुद्धिपत्र सं.2 तथा शुद्धिपत्र सं.3 शुद्धिपत्र सं.4	लागू नहीं	ईपीसी करार में शुद्धियां 646 करोड़ रुपए के मल्यं की परियोजना की मूल कुल लागत के लिए संशोधित भूगतान अनुसूची के प्रतिधारण हेतु निष्पादित	शुद्धिपत्र सं.1: 12 मार्च 2015 शुद्धिपत्र सं. 2: 23 मार्च 2016 शुद्धिपत्र सं.3: 22 जुलाई 2016 शुद्धिपत्र सं.4: 13 जून 2017	शून्य (आज की तिथि तक)
3.	**पट्टा करार** (कार्यालय परिसरों के प्रयोग के लिए किराया)	तीन वर्ष (2015 से 2018)	इरकॉन पीबीटीएल ने सेवा कर को छोड़कर प्रति माह 17,550 रूपए की दर से दिनांक 01.04.2015 से 3 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01.10.2015 को इरकॉन के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर किया है।	लागू नहीं	शून्य (आज की तिथि तक)
4.	**पट्टा करार** (कार्यालय परिसरों के प्रयोग के लिए किराया)	दो वर्ष (2018 से 2020)	इरकॉन पीबीटीएल ने प्रति माह 19,305 रूपए जमा लागू जीएसटी की दर से दिनांक 01.04.2018 से 3 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 22.06.2018 को इरकॉन के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर किया है।	लागू नहीं	शून्य (आज की तिथि तक)

अनुबंध-III

CHAITANYA UDGIRKAR
PRACTISING COMPANY SECRETARY

B-3, 302, GANGA CONSTELLA,
NEAR EON IT
PARK, KHARADI,
PUNE – 411014
MOB: 7276315835
EMAIL: chaitanya.u@legasis.co.in

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन पीबीटीएल इंटरनेशनल लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अश्विव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अश्लिखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित

बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनिय, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: - लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (15 मई, 2015 से प्रभावी);

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009 और समय-समय पर संशोधन;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; तथा

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

मैंने कंपनी द्वारा लागू अधिनियमों, नियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्रों हेतु कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया है। कंपनी पर लागू अधिनियमों, नियमों, कानूनों और विनियमों के प्रमुख शीर्षों या समूहों की सूची **अनुबंध- ख** पर संलग्न है।

मैंने प्रत्यक्ष वित्तीय और अप्रत्यक्ष कर कानूनों और उनके विनियामक अनुपालन जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अध्यधीन है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के मद्देजनर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

i. कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एक सरकारी कंपनी है, और इसे दिनांक 5 जुलाई, 2017 के कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2017 के तहत को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट दी गई है।

   इसके संदर्भ में, कंपनी ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 के पश्चात इस अधिनियम के तहत अनिवार्यता अनुसार लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता समिति का गठन किया है।

हालांकि, कंपनी को डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत लपेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के गठन की आवश्यकता थी और तदनुसार इसने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की थी।

कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत यथापेक्षित किसी भी स्वतंत्र निदेशक को अपने बोर्ड में नियुक्त नहीं किया है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, डीपीई दिशानिर्देशों की अनिवार्यता के तहत कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति को गठित नहीं किया गया है। तदनुसार, सीएसआर और धारणीयता समिति का भी विधिवत गठन नहीं किया गया है।

ii. कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के के समक्ष दायर होने वाले कुछ ई-फॉर्म दाखिल करने में देरी की है।

उपरोक्त टिप्पणियों के अतिरिक्त, मैं निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:

i. कंपनी ने 05 नामिति निदेशकों की नियुक्ति की है जिनकी नियुक्ति धारक कंपनी द्वारा की गई है और यह डीपीई दिशानिर्देशों के तहत उल्लिखित 2 नामिति निदेशकों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा से अधिक है।

ii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। हालाँकि, कंपनी ने सीधे धारक कंपनी द्वारा नामित निदेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया जबकि उन्हें वार्षिक या असाधारण आम बैठक में अपर निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा निदेशक के रूप में नियमित किया जाना चाहिए था।

मैं आगे यह भी सूचित करना हूं कि:

i. बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, बैठक

की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठकमें सार्थक भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

ii. बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जैसा कि बोर्ड के निदेशक मंडल या समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

मैं आगे सूचित करता हूं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

मैं आगे सूचित करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं हुईं:

i. क्रमश: दिनांक 30 अप्रैल, 2015 और 18 मई, 2015 के ऋण करार और अनुपूरकएएवं संशोधी करार के अनुसार, 352 करोड़ रूपए की अनुमोदित सीमा में से 240.85 करोड़ रु.का संचयी ऋण प्राप्त किया गया है।

सीएस चैतन्य उदगीरकर,
एसीएस: 49740
सीपी सं.: 18161

दिनांक: 24 सितंबर, 2018
स्थान : पूणे, महाराष्ट्र

इस रिपोर्ट को मेरे समसंख्यक पत्र के साथ पढा जाए, जो अनुबंधों के रूप में संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं।

अनुबंध -क

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

सीएस चैतन्य उदगीरकर
एसीएस: 49740
सीपी सं.: 18161

दिनांक: 24 सितंबर, 2018
स्थान : पूणे, महाराष्ट्र

अनुबंध-ख

1. सार्वजनिक उपक्रम विभाग, गृह मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश।
2. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996
3. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
5. दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954
6. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
7. पानी (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
9. वायु (रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1981
10. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
11. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
12. अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971
13. कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923
14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
15. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
16. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 और उसके नियम बनाए गए।
17. पेटेंट अधिनियम, 1970
18. ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999
19. अभिकल्प अधिनियम, 2000
20. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
21. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002

अनुबंध-III क

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर निदिशक की टिप्पणियां या प्रबंधन के उत्तर

(वित्तीय वर्ष 2017-18)

सचिवीय लेखापरीक्षक के अवलोकन	प्रबंधन के उत्तर
(1) कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एक सरकारी कंपनी है, और इसे दिनांक 5 जुलाई, 2017 के कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2017 के तहत को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट दी गई है।	चूँकि कंपनी रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला सीपीएसई कंपनी था, इसलिए डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन अनिवार्य है, और इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति और बोर्ड समितियों के गठन के संबंध में लेखापरीक्ष की आपत्ति, केवल तत्संबंधी दिशानिर्देशों से संबंधित है।
इसके संदर्भ में, कंपनी ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 के पश्चात इस अधिनियम के तहत अनिवार्यता अनुसार लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता समिति का गठन किया है।	इरकॉन पीबीटीएल के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ('इरकॉन') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एक एसपीवी होने के कारण, सभी डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन, केवल धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपी गई कुछ शक्तियों (कंपनी के संगम अनुच्छेदों के संदर्भ में) और इसप्रकार एसपीवी की सीमित क्रियात्मक क्षमता के कारण संभव नहीं है ।
तथापि, कंपनी को डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत लपेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के गठन की आवश्यकता थी और तदनुसार इसने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की थी।	इसके संदर्भ में, बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत छूट दी गई है, केवल उक्त डीपीई दिशानिर्देशों के अनुप्रयोग के कारण लागू है ।

कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत यथापेक्षित किसी भी स्वतंत्र निदेशक को अपने बोर्ड में नियुक्त नहीं किया है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, डीपीई दिशानिर्देशों की अनिवार्यता के तहत कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति को गठित नहीं किया गया है। तदनुसार, सीएसआर और धारणीयता समिति का भी विधिवत गठन नहीं किया गया है।	तदनुसार बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता के संबंध में पुन: धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को सूचित किया जाएगा, जैसा कि पहले कई अवसरों पर किया गया था ।
(2) कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के के समक्ष दायर होने वाले कुछ ई-फॉर्म दाखिल करने में देरी की है।	कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है कि आरओसी में सभी ई-फॉर्मों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर दाखिल किए जाए। हालांकि, विषम परिस्थितियों में, कुछ फॉर्म अतिरिक्त शुल्क के साथ आरओसी में दायर किए गए थे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हों।

<u>अन्य बिंदु</u>	**<u>प्रबंधन का उत्तर</u>**
(1) कंपनी ने 05 नामिति निदेशकों की नियुक्ति की है जिनकी नियुक्ति धारक कंपनी द्वारा की गई है और यह डीपीई दिशानिर्देशों के तहत उल्लिखित 2 नामिति निदेशकों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा से अधिक है।	(1) कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 49 के अनुरूप है और तदनुसारकंपनी के सभी निदेशक मंडल को धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नामित किया गया है। डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार बोर्ड की संरचना का अनुपालन नहीं किया जा सका है क्योंकि कंपनी की

	संरचना इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एसपीवी के रूप में है जिसकानिगमत केलव परियोजना के निष्पादन के लिए किया गया है।
(2) समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। हालाँकि, कंपनी ने सीधे धारक कंपनी द्वारा नामित निदेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया जबकि उन्हें वार्षिक या असाधारण आम बैठक में अपर निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा निदेशक के रूप में नियमित किया जाना चाहिए था।	(2) धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को सहायक कंपनी के बोर्ड इरकॉन पीबीटीएल के माध्यम से निष्पादित किया गया है। तथापि, अपर निदेशक की नियुक्ति और एजीएम को नियमित करने की उक्त प्रक्रिया का अनुसरण आगामी वित्तीय वर्षों के लिए भी किया जाएगा।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
सुदोधनी
कंपनी सचिव
एसीएस सं: 36883

दिनांक : 24 सितंबर, 2018
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध – IV

निगमित शासन रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने निर्णय-निर्धारण और कार्यों में सत्यनिष्ठा, जवाबदेही,उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल की संरचना:-

कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद 49 के अनुसार, निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास है। तदनुसार, धारक कंपनी ने, इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में पांच गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक निदेशक) को नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	निदेशक	पूर्णकालीन/अंशकालीन/ स्वतंत्र	नियुक्ति की तिथि	डीआईएन
1.	श्री दीपक सबलोक	अंशकालीन अध्यक्ष	30.09.2014	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल	अंशकालीन निदेशक	30.09.2014	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह	अंशकालीन निदेशक	21.07.2016	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	अंशकालीन निदेशक	03.03.2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन	अंशकालीन निदेशक	09.06.2017	07797026

(क) निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पांच बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया है। चूंकि दो निरंतर बैठकों के बीच 90 दिन के समय अंतराल की अनुमति दी गई है, इसलिए वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तदनुसार है।

उचित नोटिस जारी किए गए थे और समय पर कार्यसूची अभिलेख परिपत्रित किए गए। विशिष्ट मुद्दों के समाधन के लिए प्रस्तुत किए गए निर्धारित प्रस्तावों के साथ निदेशकों और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने हेतु बोर्ड तथा शेयरधारक बैठकों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

बोर्ड तथा बोर्ड समितियोंकी बैठकों की संख्या और इन बैठकों में निदेशकों और समिति सदस्यों की उपस्थिति

(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की अनुसूची

(कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में)

क्र.सं	बोर्ड बैठक की सं.	बोर्ड बैठकों की तिथि	पिछले बैठकों के संबंध में समय अंतराल (दिनों की संख्या)	उपस्थित सदस्यों की संख्या	अनुपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	21वीं	13 जून, 2017	-	5	शून्य
2.	22वीं	28 जुलाई, 2017	44	4	1
3.	23वीं	6 सितंबर, 2017	39	5	शून्य
4.	24वीं	29 नवंबर, 2017	83	5	शून्य
5.	25वीं	20,फरवरी 2018	82	5	शून्य

(ii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित विभिन्न समितियों की बैठकों की संख्या और उपस्थिति रिकार्ड :

क्र.सं	बोर्ड समिति	बैठकों की संख्या	समिति बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	लेखापरीक्षा समिति	3	12 जून, 2017	3
		4	27 जुलाई, 2017	3
		5	6 सितंबर, 2017	3
		6	28 नवंबर, 2017	3
		7	20 फरवरी, 2018	3
2.	सीएसआर और धारणीयता समिति	2	19 फरवरी, 2018	3

(iii) **निदेशकों की उपस्थिति और बोर्डों और समितियों में उनके निदेशक पद या सदस्यता का ब्यौरा**

बैठकों में निदेशक मंडल को प्रतिनिधित्व:वित्तीय वर्ष 2017-18

नाम व पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या		बोर्ड समितियों की बैठकों की संख्या (निदेशक कार्यकाल अवधि)			समिति बैठकों में उपस्थिति की संख्या			विभिन्न कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/निदेशक पद	
			सरकारी	अन्य	लेखा परीक्षा	नामांकन एंव परिश्रमिक	सीएसआर व धारणीयता समिति	लेखा परीक्षा	नामांकन एंव परिश्रमिक	सीएसआर व धारणीयता समिति	सरकारी	अन्य
श्री दीपक सबलोक, अध्यक्ष	5	5	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	लागू नहीं	शून्य
श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक	5	5	5	शून्य	1	5	लागू नहीं	1	5	5	5	शून्य
श्री आनन्द कुमार सिंह निदेशक	5	5	5	शून्य	1	5	लागू नहीं	1	5	5	5	शून्य

श्री आर.एस.यादव निदेशक	5	5	5	शून्य	1	5	लागू नहीं	1	5	5	5	शून्य
सुश्री अनुपम बेन, निदेशक	5	4	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	4	लागू नहीं	शून्य

कंपनी के निदेशकों ने नियमित रूप से बोर्ड की बैठकों में भाग लिया है जिसमें संगठनात्मक कार्यों के लिए सकारात्मक और मूल्यवाल विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

साधारण बैठकें

वर्ष 2017-18 के दौरान शेयरधाराकों की केवल एक वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन दिनांक 25.09.2017 को किया गया और आज की तिथि तक वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान केवल एक ईजीएम का आयोजना किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

साधारण बैठकें

क्र. सं	शेयरधारक बैठकों का प्रकार	बैठक की तिथि	संव्यवहार हेतु	
			सामान्य कार्य	विशेष कार्य
1	प्रथम असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम)	3 फरवरी, 2015	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 180(1)(ग) के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों से ऊपर कंपनी की ऋण लेने की शक्तियां
2	प्रथम वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)	निगमन से पहली बार आयोजित की जाने वाली एजीएम	लागू नहीं	लागू नहीं

एनए से तात्पर्य: लागू नहीं

<u>बोर्ड की समितियों का गठन</u>

I. लेखापरीखा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति

दिनांक 31 मार्च 2015 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5 करोड़ रूपए थी जो धारक कंपनी, इरकॉन को जारी 85 करोड़ रूपए के राइट इश्यु के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में बढकर 90 करोड़ रूपए हो गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त शेयर पूंजी के 10 करोड़ रूपए के थ्रेशहोल्ड सीमा को पार करने के कारण कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सांविधिक समितियों के गठन की आवश्यकता को क्रमश: दिनांक 29 अप्रैल 2015 तथा 26 अगस्त 2015 को आयोजित बोर्ड की सातवीं और नवीं बैठक में अधिसूचित किया गगया था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 और अनुच्छेद 178 के अनुसरण में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमित समिति का गठन किया गया था और यह लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 की शर्तों के अनुपालन में है।

लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमित समिति के गठन हेतु अनुमोदन इरकॉन पीबीटीएल की 18वीं बोर्ड बैठक में प्रदान किया गया था।

क. <u>लेखापरीक्षा समिति (एसी)</u>

संरचना: -

(i) श्री ए.के. सिंह, कार्यपालक निदेशक/वित्त, इरकॉन - अध्यक्ष के रूप में नामित निदेशक

(ii) श्री ए.के. गोयल, कार्यपालक निदेशक/परियोजनाएं, इरकॉन - सदस्य के रूप में नामित निदेशक

(iii) श्री आर.एस. यादव, परियोजना निदेशक/जम्मू एवं कश्मीर, इरकॉन - सदस्य के रूप में नामित निदेशक

संदर्भ की शर्तें:-

लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित भूमिका और उत्तरदायित्व होंगे:

(i) कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश;

(ii) तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उसपर बोर्ड की स्वीकृति पूर्व लेखापरीक्षकोंकी रिपोर्टकी समीक्षा और जांच;

(iii) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा;

(iv) सांविधिक लेखापरीक्षाओं द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओंकके लिए उन्हें भुगतान की स्वीकृति;

(v) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन को अनुमोदन या तत्पश्चात संशोधन;

(vi) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;

(vii) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(viii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन; और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा;

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा;

(x) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से एकत्र धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) संरचना: -

(i) श्री ए.के. गोयल, कार्यपालक निदेशक/परियोजनाएं, इरकॉन नामित निदेशक - अध्यक्ष के रूप में

(iii) श्री ए.के. सिंह, कार्यपालक निदेशक/ वित्त, इरकॉन नामित निदेशक - सदस्य के रूप में

(iii) श्री आर.एस. यादव, परियोजना निदेशक/जम्मू और कश्मीर, इरकॉन नामित निदेशक - सदस्य के रूप में

संदर्भ की शर्तें:-

नामांकन और पारिश्रमिक समिति-

- डीपीई और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक पद से एक स्तर नीचे) और अन्य कार्मिकों के चयन की नीतियों की समीक्षा;

- निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के सबंध में बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना।
- समय समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

II. सीएसआर समिति और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसरण में पिछले वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रूपए के शुद्ध लाभ या 500 करोड़ रूपए की निवल संपत्ति या 1000 करोड़ रूपए के टर्नओवर पर सीएसआर समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है।

कंपनी को निगमन पूर्व व्ययों की प्रतिपूर्ति और प्रशासनिक व्ययों के कारण 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1,47,69,915 रूपए (कर पूर्व शुद्ध हानि) का घाटा हुआ था। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 5,60,73,518/- रूपए का निवल कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ है। इसके कारण, निवल कर पूर्व लाभ की 5 करोड़ रूपए की निर्धारित सीमा को पार करने कारण सीएसआर समिति का गठन अनिवार्य हो गया है।

तदनुसार, सीएसआर समिति का गठन 5 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ (कर पूर्व) की 'थ्रेशहोल्ड सीमा' के संबंध में बैठक करने के लिए आवश्यक था और इसका गठन विधिवत रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया था।

इस प्रकार कंपनी की 10 बोर्ड बैठक में **सीएसआर और धारणीयता समिति** के बठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा प्रथम सीएसआर और धारणीयता समिति बैठक दिनांक 8 फरवरी 2017 को आयोजित की गई थी जिसमें सीएसआर और धारणीयता नीति को स्वीकृति और 4,13,000 के सीएसआर व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

दिनांक 14 मार्च 2017 को आयोजित 20वीं बोर्ड बैठक में, बोर्ड ने सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) समिति की सिफारिशों पर विचार किया और कहा कि चूंकि कंपनी इस समय

निर्माण के चरण में थी और प्रचालन से शून्य राजस्व प्रापत हुआ था इसलिए 4,13,100/- रुपए (रुपये चार लाख तेरह हजार एक सौ केवल) की राशि के सीएसआर व्यय को अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

तदनुसार, वित्तीय 4,13,100/- रुपए का सम्पूर्ण निर्धारित सीएसआर व्यय वर्ष 2016-17 के दौरान नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 3,36,473/- रूपए का सीएसआर व्यय भी अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अग्रेषित किया गया है।

49 7,49,573/- रूपए के सीएसआर व्यय हेतु संचयी शेष को वित्तीय वर्ष 2018- 19 में अग्रेषित किया गया है।

निदेशक मंडल ने दिनांक 20.02.2018 को आयोजित अपनी 25वीं बैठक में, सीएसआर और धारणीयता समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात, सीएसआर और धारणीयता निधि के 7,49,473/- रुपये की संचयी राशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रेषित करने और कंपनी के लेखाबहियों में इसके लिए उपयुक्त प्रावधान करने की सहमति व्यक्त की है।

तदनुसार, सीएसआर और धारणीयता प्रावधान या सीएसआर एवं धारणीयता निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु लेखा बहियोंमें लिए 7,49,573/- रूपए का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट में **अनुबंध-VI** पर संलग्न है।

प्रकटन और सांविधिक अनुपालन :-

बोर्ड द्वारा व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण की सुस्पष्ट नीति का अनुसरण करते निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहारों, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण सं संबंधित पर्याप्त प्रकटनों को प्रस्तुत किया गया है और आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया है ताकि सुज्ञात निर्णय लिए जा सकें। प्रकटनों,

सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए सूचनाएं समयबद्ध आधार पर की जाती हैं और कोई मामला लंबित नहीं है।

निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010, कंपनी (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और अनुसूची क्रियान्वयन - खंड 8.2: अनुपालन) द्वारा अनुसरित निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाने के लिए एक प्रमाणपत्र निर्धारित करता है।

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए उक्त प्रमाणपत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है जिनका कार्यालय 1005, रूट्स टावर, प्लाट सं.7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 में है और इसे यहां **अनुबंध-IV-क** के रूप में संलग्न किया गया है।

<u>अनुबंध – IV(क)</u>

अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

<u>सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), 2010 के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र</u>

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटिड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत, अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों गैर-नियुक्ति और बिना स्वतंत्र निदेशकों के लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन। उपर्युक्त अवलेकन के अतिरिक्त,कंपन ने पांच नामित निदेशकों की नियुक्ति की है , जिन्हें धारक कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और इसप्रकार, यह डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित 2 नामित निदेशकों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा से अधिक है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं.- 5086

स्थान: नई दिल्ली
दनांक: 24.09.2018

अनुबंध-V

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य विवरणात्मक सूचना की समीक्षा की है:-

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-

श्री ए.के.सिंह

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

ह/-

श्री संजय पोद्दार

मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

दिनांक: 18.07.2018

स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध - **VI**

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

(राशि लाख में)

1	क्या कंपनी ने सीएसआर नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो कंपनी की सीएसआर नीति और निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के प्रति तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% उपलब्ध करना है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। **वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु:** कंपनी ने सीएसआर खर्च के लिए 4.13 लाख रुपये का प्रावधान किया है। कंपनी निर्माण चरण पर है और अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने सीएसआर के लिए कोई राशि खर्च नहीं की है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए राशि को अग्रेषित किया है। **वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु:** कंपनी ने सीएसआर खर्च के लिए 3.36 लाख रुपये का प्रावधान किया है। कंपनी का विचार है कि कंपनी के निर्माण चरण पर होने के कारण और समर्पित सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निधियां निर्धारित करने की अपेक्षा के कारण, 3.36 लाख रूपए के सीएसआर व्यय को अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रेषित किया गया है। **संचयी सीएसआर व्यय:** 4.13 लाख रूपए तथा 3.36 लाख रूपए, संचित मूल्य 7.49 लाख रूपए की राशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रेषित किया गया है।

2	सीएसआर समिति की संरचना	कंपनी में सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए बोर्ड स्तर की समिति विद्यमान है। वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर और स्थिरता समिति निम्नानुसार थी: 1. श्री अशोक कुमार गोयल - अध्यक्ष 2. श्री ए.के.सिंह - सदस्य 3. श्री राजेन्द्र सिंह यादव - सदस्य प्रथम सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर- एसवी) समिति की बैठक 8 फ़रवरी, 2017 को तथा दूसरी सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर- एसवी) समिति की बैठक 20 फरवरी 2018 को आयोजित की गई थी ।
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 168.23 लाख रूपए है।
4	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद-3 के अनुसार राशि का दो प्रतिशत)	तीन वित्तीय वर्षों यथा 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के औसत कर पूर्व लाभ के दो प्रतिशत की दर से सीएसआर पर किया गया व्यय 3.36 लाख रूपए (168.23 x 2%) है।
5	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर किया गया व्यय	वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि खर्च नहीं की है।
(क)	वित्तीय वर्ष के लिए किया गया कुल व्यय	7.49 लाख रूपए
(ख)	व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो	7.49 लाख रूपए
(ग)	पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भाग के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च न किए जाने के कारण।	चूँकि कंपनी वर्तमान में विकास के चरण में है और प्रचालीन से आय शून्य है, इसलिए, सीएसआर पर किया गया 7.49 लाख रूपए के व्यय को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अग्रेषित किया गया है। इसके कारणों को दर्ज किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शुन्य राशि खर्च की गई है। परियोजना कार्यालय या इरकॉन के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7.49 लाख रूपए की कॉर्पस राशि के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

लेखापरीक्षा रिपोर्ट और तुलनपत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2018 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां अंगे "इंड एएस वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) के सार की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्यस वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आंकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और इंड एएस वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना इस प्रकार प्रदान करता है जो इंड एएस सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप सही और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

(क) दिनांक 31 मार्च 2018 को कंपनी की वित्तीय स्थिति,

(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी लाभ (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन),

(ग) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका रोकड़ प्रवाह।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

(2) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

(ii) डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास क्रमश: फ्रीहोल्ड और लीजडीड के लिए क्लियर टाइटल/लीज डीड हैं**?** यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजडीड के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनके लिए टाइटल /लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि नहीं है और इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि**,** यदि कोई हो**,** में छूट/बट्टा खाता डाले जाने का कोई मामला है। इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।	वर्ष के दौरान ऋणों/उधारों /ब्याजों आदि में कोई छूट/बट्टा खाता नहीं हुआ है।

3.	कृपया उल्लेख करें कि क्या पक्षों के पास उपलब्ध इन्वेंटरी तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपकर के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है**?**	वर्ष के दौरान कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000044एन

ह/-
राहुल अग्रवाल-एफसीए
साझेदार
सदस्यता सं. 501642

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.07.2018

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-क

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5(1) का संदर्भ।

i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे चिपार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनोंपर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

(ग) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं है, इसलिए कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(i)(ग) का प्रावधान लागू नहीं है।

ii. कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(ii) का प्रावधान लागू नहीं है।

iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

v. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम

की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

vi. कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

vii. क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2018 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें दिनांक 31.03.2017 को विविद के कारण जमा नहीं कराया जा सका।

viii. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक याकसा से कोई ऋण नहीं लिया है और ना ही डिबेंचरधारक के प्रति कोई देय है, ऋणों या कर्ज के पुनर्भुगतान में कंपनी द्वारा चूक का प्रश्न नहीं उठता।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर या ऋण व्यवस्था के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेशक के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस आदेश के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिरियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. कंपन एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन -000044एन

ह/-
राहुल अग्रवाल-एफसीए
भागीदार
सदस्यता सं. 501642

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23.07.2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2018 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि

क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।
हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2018 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन -000044एन

राहुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 501642

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28.07.2017

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

तुलन पत्र
31 मार्च 2018 को

(राशि लाख रूपए में)

	विवरण	नोट स.	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को
I.	**परिसंपत्तियां**				
1	**गैर चालू परिसंपतियां**				
	(क) परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	0.43		0.51
	(ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य		-		-
	(ग) निवेश परिसंपतियां		-		-
	(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-
	(ड.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियां	4	27,758.15		22,378.20
	(च) वित्तीय परिसंपत्यिां	5			
	(i) निवेश		-		-
	(ii) व्यापार प्राप्य	5.1	95.78		95.78
	(iii) ऋण	5.2	0.03		2.04
	(iv) अन्य	5.3	0.40		1.19
	(छ) आस्थगित कर परिसपतियां (निवल)	6	10.46		19.55
	(ज) अन्य गैर चालू परिसंपतियां		-	27,865.24	-
2	**चालू परिसंपतित्यां**				
	(क) दरसूचियां		-		-
	(ख) वित्तीय परिसंपत्यिां	7			
	(i) निवेश		-		-
	(ii) व्यापार प्राप्य	7.1	1,942.26		1,310
	(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	7.2	3,530.89		607.33
	(iv) उपर्युक्त (iii) से इतर बैंक शेष		-		-
	(v) ऋण	7.3	3.29		0.86
	(vi) अन्य	7.4	10,100.09		0.88
	(ग) चालू परिसंपतियां (निवल)	8	336.52		73.97
	(घ) अन्य चालू परिसंपतियां	9	81.55	15,994.60	888.55
	कुल परिसंपत्यिां			**43,859.84**	**25,379.32**
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**				
1	**इक्विटी**				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	16,500.00		16,500.00
	(ख) अन्य इक्विटी	11	392.94	16,892.94	310.23
	(ग) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन				
2	देयताएं				
(i)	गैर- चालू देयताएं				
	(क) वित्तीय देयताएं	12			
	(i) ऋण	12.1	24,085.00		8,000
	(ii) व्यापार देय		-		-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		-		-
	(ख) प्रावधान		-		-
	(ग) आस्थगित कर देयताएं निल		-		-
	(घ) अन्य गैरचालू देयताएं		-	24,085.00	-
4	**चालू देताएं**				
	(क) वित्तीय देयताएं	13			
	(i) ऋण	13.1	-		-
	(ii) व्यापार देय	13.2	2,590.10		373.26
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	13.3	41.31		86.69
	(ख) अन्य चालू देयताएं	14	242.99		105.01
	(ग) प्रावधान	15.1	7.49		4.13
	(घ) चालू कर देयताएं निवल	15.2		2,881.89	-
				-	
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**43,859.84**	**25,379.32**
III.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट				

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000044 एन

इरकॉन पीबी टॉलीवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

अशोक कुमार गोयल
निदेशक
डीआईएन 05308809

आनन्द कुमार सिहं
निदेशक
डीआईएन: 07018776

राहुल अग्रवाल

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

लाभ और हानि विवरण

01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु

(राशि लाख में)

	विवरण	नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्व :			
	प्रचालनों से राजस्व	16	27,754.36	17,788.96
II.	अन्य आय	17	126.93	87.93
III.	कुल आय **(I + II)**		**27,881.29**	**17,876.89**
IV.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक एवं प्रशासनिक व्यय:	18		
	- प्रचालनिक व्यय		25,814.89	17,486.24
	- प्रशासनिक व्यय		1.99	1.10
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	276.45	206.29
	वित्तीय लागते	20	1,662.76	100.38
	मल्यह्रास परिशोधन एवं हानि	21	0.26	0.18
	अन्य व्यय		-	-
	कुल व्यय(IV).		**27,756.35**	**17,794.18**
V.	**आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)**		124.94	82.71
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)		124.94	82.71
VIII.	कर व्यय:			
	(1) चालू कर			##
	- वर्ष हेतु	15.2	33.08	17.05
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)	15.2	0.05	-
	(2) आस्थगित कर (निवल)	6	9.09	11.88
	कुल कर व्यय (VIII)		**42.23**	**28.93**
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)**		**82.71**	**53.77**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/हानि		-	-
XI	बंद प्रचालनों पर कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों पर लाभ/हानि (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII	**अवधि के लिए लाभ/हानि (IX+XII)**		**82.71**	**53.77**
XIV	**अन्य वृहत आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	**-**
XV	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय शामिल हैं)**		**82.71**	**53.77**
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (निरंतर प्रचालनों हेत)			
	(1) मल		0.05	0.04
	(2) विलयित		0.05	0.04
XVII	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (बंद प्रचालनों हेत)			
	(1) मल		-	-
	(2) विलयित		-	-
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी: (बंद व निरंतर प्रचालनों हेत)			
	(1) मल		0.05	0.04
	(2) विलयित		0.05	0.04

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000044एन

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

अशोक कुमार गोयल
निदेशक
डीआईएन:05308809

आनन्द कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 07018776

राहुल अग्रवाल
प.सं501642
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.07.2017

संजय पोद्दार
(मुख्य वित्त अधिकारी)

अजय कुमार सिंह
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

सुदोधनी
कंपनी सचिव

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
रोकड़ प्रवाह विवरण
01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु

(राशि लाख में)

	विवरण		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
	असाधारण मदों व करपूर्व शुद्धलाभ		124.94	82.71
	समायोजन			
	मूल्यह्रास परिशोधन तथा हानि		0.26	0.18
	ब्याज आय		(126.93)	(87.93)
	प्रावधान- सीएसआर		3.36	4.13
	कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	(1)	- 1.64	(0.92)
	समायोजन:			
	व्यापार प्राप्य/ऋणों व अग्रिमों में कमी / (वृद्धि		(631.42)	(1,405.27)
	दर सूचियों में कमी / (वृद्धि		(9,292.22)	124.86
	अन्य परिसंपतियों में कमी / (वृद्धि		2,216.84	(1,808.75)
	व्यापार देयताओं में कमी / (वृद्धि		(45.38)	86.69
	अन्य देयताओं व प्रावधानों में में कमी / (वृद्धि		137.98	(400.16)
		(2)	(7,614.20)	(3,402.62)
	प्रचालन से अर्जित रोकड़	(1+2)	(7,612.56)	(3,403.54)
	प्रदात्त आयकर		(295.70)	(161.56)
	प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	**(7,908.26)**	**(3,565.10)**
	निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
	पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित नियत परिसंपति की खरीद		(0.18)	(0.35)
	धारक कंपनी से ऋण का पुनर्भुगतान		(5,379.94)	(17,788.96)
	प्राप्त ब्याज		-	-
	निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		-	-
	पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित नियत परिसंपति की खरीद		-	-
	धारक कंपनी से ऋण का पुनर्भुगतान		-	-
	प्राप्त ब्याज		126.93	87.93
	निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़	(ख)	**(5,253.20)**	**(17,701.37)**
	वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
	ऋण		16,085.00	8,000.00
	इक्विटी शेयर जारी करना		-	7,500
	संव्यवहार लागत		-	(7.50)
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन			
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल रोकड़	(ग)	**16,085.00**	**15,492.50**
	विदेशी मुद्रा रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के अंतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	**-**	**-**
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि	(क+ख+ग+घ)	**2,923.55**	**(5,773.97)**
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)	**607.33**	**6,381.30**
	रोकड़ शेष		577.13	153.77
	बैंक शेष		30.21	6,227.54
	अल्पकालीन निवेश			
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (अंतिम)	(च)	**3,530.89**	**607.33**
	रोकड़ शेष		132.99	577.13
	बैंक शेष		3,397.90	30.21
	अल्पकालीन निवेश			
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल कमी	(च - ड.)	**2,923.55**	**(5,773.97)**

***इंडएएस-7 के अनुसार वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह का समायोजन**

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2017 को	गैर रोकड़ प्रवाह	रोकड प्रवाह	31.03.2018 को
1	ऋण	8,000	-	16,085	24,085
	वित्तीय गतिविधियों से कुल देयता	**8,000.00**	**-**	**16,085.00**	**24,085.00**

नोट 1. इंड एएस-7 (रोकड़ प्रवाह विवरण) में निर्धारित **अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया**

2. **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में उपलब्ध रोकड़ और बैंक में शेष शामिल है।**

3. **रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है।**

4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन समूहित/पुनर्निर्धारित किया गया है, जहां आवश्यक हुआ

5. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (समापन) में मार्जिम राशि/ अंडर ल्यु राशि शामिल है जो शून्य रूपए (शून्य रूपए) है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000044एन

आनन्द कुमार सिहं
निदेशक
डीआईएन: 07018776

अशोक कुमार गोयल
निदेशक
डीआईएन: 05308809

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

राहुल अग्रवाल
साझेदार
स.सं501642
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.07.2018

संजय पोद्दार
(मुख्य वित्त अधिकारी)

अजय कुमार सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सुदोधनी
कंपनी सचिव

इक्विटी परिवर्तन विवरण

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी	**(रूपए लाख में)**
01 अप्रैल 2017 को शेष	16,500
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-
31 मार्च 2018 को शेष (नोट 10)	**16,500**

ख. अन्य इक्विटी **(राशि लाख में)**

विवरण	**आरक्षित निधि एवं अतिरेक**			**अन्य वृहत आय मदें**			**कुल**
	सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि	**सामान्य आरक्षित निधि**	**प्रतिधारित आमदनियां**	**ओआईसी के माध्यम से ऋण प्रलेख**	**विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर**	**अन्य वृहत आय की अन्य मदें**	
01 अप्रैल 2017 को शेष	-	-	310.23	-	-	-	**310.23**
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	-	-	82.71	-	-	-	**82.71**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-
शेयर पूंजी इश्यु पर प्रदत्त स्टेम्प इयूटी	-	-	-	-	-	-	0.00
31 **मार्च 2018 को शेष**			**392.94**				**392.94**

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन पीबी टॉलीवे लि. के निमित और उनकी ओर से

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000044 एन

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

अशोक कुमार गोयल
निदेशक
डीआईएन 05308809

आनन्द कुमार सिहं
निदेशक
डीआईएन: 07018776

राहल अग्रवाल
साझेदार
स.स. 501642

संजय पोददार
(मुख्य वित्त अधिकारी)

अजय कुमार सिंह
(मु. कार्यपालक अधिकारी)

सुदोधनी
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि :23.07.2018

गैर-चालू परिसंपत्तियां

3 परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

(राशि लाख में)

फ़ुट नोट	कम्प्यूटर/कार्यालय उपकरण	कुल
लागत या मूल्यांकन		
01 अप्रैल 2016 को	0.82	0.82
संवर्धन		-
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2017 को	**0.82**	**0.82**
संवर्धन	0.18	0.18
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च 2018 को	**1.00**	**1.00**
मूल्यह्रास और हानि		
1 अप्रैल 2016 को	0.17	0.17
वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास	0.14	0.14
हानि		-
निपटान/समायोजन		-
31 मार्च 2017 को	**0.31**	**0.31**
वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास	0.26	0.26
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च 2018 को	**0.57**	**0.57**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2018 को	**0.43**	**0.43**
31 मार्च 2017 को	**0.51**	**0.51**

i) वर्ष के लिए मूल्यह्रास और हानि जिसे लाभ और हानि विवरणण के नामे किया गया है:

विवरण	मार्च 2018 को	मार्च 2017 को
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.26	0.18
घाटा	-	-
कुल	**0.26**	**0.18**

गैर-चालू परिसंपत्तियां

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि लाख में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्त्यिां	अन्य अमूर्त (सॉफ्टवेयर)
01 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	4,589.25	0.00
वर्ष के दौरान संवर्धन	17,788.96	-
समायोजन	-	
31 मार्च 2017 को अंतिम शेष	22,378.20	0.00
वर्ष के दौरान संवर्धन	27,754.36	-
समायोजन	22,374.42	-
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	27,758.15	0.00
परिशोधन और हानि		
01 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष	-	-
परिशोधन	-	-
हानि	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च 2017 को अंतिम शेष	-	-
परिशोधन	-	-
हानि	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	-	
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2018 को	27,758.15	0.00
31 मार्च 2017 को	22,378.20	0.00

5 गैर-चालू परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां

5.1 व्यापार प्राप्य

(परिशोधित लागत पर उचित मल्य)

(राशि लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
- व्यापार प्राप्य	-	-
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	95.78	95.78
- ग्राहकों दवारा आहरित राशि	-	-
घटा : संदिग्ध- व्यापार प्राप्यों हेत प्रावधान		
संबंधित पक्षों से प्राप्ति योग्य	-	-
कुल	**95.78**	**95.78**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

गैर-चालू परिसंपत्तियां

5 वित्तीय परिसंपत्तियां

5.2 ऋण

(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य) **(राशि लाख रू. में)**

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क; रक्षित, वसूली योग्य कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.03	2.04
कुल (A) - रक्षित ऋण	**0.03**	**2.04**
ख अरक्षित, वसूली योग्य **(i) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिमः**	-	-
कुल (i)	**-**	**-**
(ii) अन्यः स्टाफ ऋण और अग्रिम	-	
कुल (ii)	**-**	**-**
कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i+ii)	**-**	**-**
ग. संदिग्ध समझे गए **(i) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिमः**	-	-
कुल (i)	**-**	**-**
(ii) अन्यः स्टाफ ऋण और अग्रिम	-	-
कुल (ii)	**-**	**-**
कुल - (i+ii)	**-**	**-**
घटा : संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	-
कुल (ग) - संदिग्ध ऋण	**-**	**-**
सकल योग - ऋण	**0.03**	**2.04**

5.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा राशि		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	0.35	0.35
स्टाफ को अग्रिम से संचित ब्याज	0.05	0.84
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - शुद्ध	**0.40**	**1.19**
ख) संदिग्ध समझे गए		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	-	-
स्टाफ को अग्रिम से संचित ब्याज	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित लाभ		
- कंपेनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल(जेवी)	-	-
अन्य	-	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	**-**	**-**
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.40**	**1.19**

गैर-चालू परिसंपत्तियां

6 वित्तीय परिसंपत्तियां

(राशि लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रावधान	-	
परिसिंपत्ति , संयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	-	
अन्य	10.46	19.55
अंतिम शेष	**10.46**	**19.55**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समाधान/संचलन

विवरण	प्रावधान	पीपीई व अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2017 को	**-**	**-**	**19.55**	**19.55**
(प्रभारित)/नामे :				
- लाभ/हानि विवरण में			9.09	9.09
- अन्य वृहत आय	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**-**	**-**	**10.46**	**10.46**

आयकर व्यय

लाभ या हानि खंड

(राशि लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
चालू आय कर		
चालू आय कर प्रभार	33.08	17.05
पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.05	-
आस्थगित कर:		
स्थायी अंतरणों की उत्पत्ति और रिवर्सल में संबंध	9.09	11.88
लाभ और हानि विवरण से संबंधित आय कर व्यय	**42.23**	**28.93**

दिनांक 31 मार्च 2017 तथा 31 मार्च 2018 को कर व्यय और लेखांकन लाभ के भरत के घरेलू कर दर से गुणा दवारा समायोजन

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ	124.94	82.71
बंद प्रचालनों से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**124.94**	**82.71**
भारत की सांविधि आय कर दर 33.063% (31 मार्च 2018), (31 मार्च 2017: 30.09%) पर	41.31	25.56
पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.05	2.11
पूर्व में अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
कर प्रयोजनों हेतु गैर-कटौती व्यय:		
अन्य गैर कटौती व्यय	2.23	1.28
कर दर में वृद्धिके कारण आरंभिक आस्थगित कर परिसंपत्तियों में समायोजन	-1.37	-
प्रभावी आयकर दर **33.80% (31 मार्च 2018), 34.99% (31 मार्च 2017) पर**	**42.23**	**28.93**
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	42.23	28.93
बंद प्रचालनों से संबंधित आयकर	-	-
	42.23	**28.93**

गैर-चालू परिसंपत्तियां

7 वित्तीय परिसंपत्तियां

7.1 व्यापार प्राप्य

(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

(राशि लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
- व्यापार प्राप्य	1,854.26	1,310.48
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	-	-
- ग्राहकों दवारा आहरित राशि	88.00	-
घटा: संदिग्ध प्राप्यों की व्यवस्था	-	-
ग्राहकों के पास संदिग्ध प्रतिधारण राशियों की व्यवस्था	-	-
ग्राहकों दवारा आहरित राशि की व्यवस्था	-	-
संबंधित पक्षों दवारा प्राप्य राशियां	-	-
कुल	**1,942.26**	**1,310.48**

व्यापार प्राप्यों का ब्यॉरा

(राशि लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 March 2017
भुगतान के लिए देय तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
रक्षित, वसूल योग्य	-	-
अरक्षित, वसूल योग्य	1,405.72	1,310.48
संदिग्ध	-	-
	1,405.72	1,310.48
संदिग्ध प्राप्यों हेतु व्यवस्था	-	-
	1,405.72	1,310.48
भुगतान के लिए देय तारीख से छह महीने से कम की अवधि के लिए बकाया		
रक्षित, वसूल योग्य	-	-
अरक्षित, वसूल योग्य	448.54	-
संदिग्ध	-	-
	448.54	-
संदिग्ध प्राप्यों हेतु व्यवस्था	-	-
	448.54	-
कुल व्यापार प्राप्य	**1,854.26**	**1,310.48**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

चालू परिसंपत्तियां

7 वित्तीय परिसंपत्तियां

7.2 रोकड़ एवं रोकड समतुल्य

(राशि लाख रू. में)

विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
उपलब्ध रोकड़	-	-
उपलब्ध चैक ड्राफ्ट	-	-
*बैंकों में शेष**		
- चालू खातों में	132.99	577.13
- फ्लैक्सी खातों में	-	-
- तीन महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां	3,397.90	30.21
	3,530.89	**607.33**

*** उपर्युक्त शेष राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ हुए रियायत करार के अनुसार एस्क्रो खाते से संबंधित है।**

चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां

7.3 ऋण

(परिशोधित लागत पर उचित मल्य)

(राशि लाख रू. में)

विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
क: रक्षित वसूली योग्य		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	2.01	0.57
कुल (क) रक्षित ऋण	**2.01**	**0.57**
ख: अरक्षित वसली योग्य		
(i) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रम :		
कुल (i)	**-**	**-**
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	1.29	0.29
कुल(Ii)	**1.29**	**0.29**
कुल(ख) - अरक्षित ऋण (i+ii)	**1.29**	**0.29**
ग: संदिग्ध समझे गए		
(i) संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रम :		
(ii) अन्य:		
कल(ग) - संदिग्ध ऋण	**-**	**-**
सकल योग	**3.29**	**0.86**

7.4 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

(राशि लाख रू. में)

विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
क) वसूली योग्य		
संचित ब्याज		
- स्टाफ को अग्रिम	0.93	0.81
- बैंकों में जमा राशि	0.69	0.07
अन्य:	-	-
(i) एनएचएआई से देय रोकड सहायता	10,098.47	-
(iii) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे	-	-
(iv) अन्य वसूलीयोग्य	-	-
कल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शोध्य	**10,100.09**	**0.88**
ख) संदिग्ध समझे गए		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	-	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्यिों (अन्य) हेतु प्रावधान	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	**-**	**-**
सकल योग- अन्य वित्तीय अन्य	**10,100.09**	**0.88**

8 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अग्रिम कर/ टीडीएस	369.60	91.02
- घटाः कर हेत् प्रावधान (ब्यौरे के लिए नोट 15.2 देखें)	(33.08)	(17.05)
	336.52	**73.97**

9 अन्य चालू परिसंपत्तियां

रूपए लाख में

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम	-	-
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों से अग्रिम	-	-
कर प्राधिकरण		
- जीएसटी इनपुट ऋण	1.83	-
कल - पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम	**1.83**	**-**
ख) अन्य		
बिलर बिलयोग्य राजस्व	-	807.00
पूर्व ्पूर्व प्रदत्त व्य	4.46	24.08
डब्ल्यूडब्ल्यूसीटी वसूलीयोग्य (संदर्भ नोट 24-xi)	57.47	57.47
अन्य वसली योग्य	17.79	
कल - पूंजी अग्रीमों से इतर अग्रिम	**79.72**	**888.55**
ग) संदिग्ध समझे गये		
ठेकेदारों, आपर्तिकर्ताओं और अन्यों से अग्रिम	-	-
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	-	-
अन्य	-	
मल्य संवर्धन कर	-	-
घटाः संदिग्ध अग्रिमों हेत प्रावधान	-	-
कुल - संदिग्ध समझे गए	**-**	**-**
सकल योग	**81.55**	**888.55**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

10 इकिवटी शेयर पूंजी

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्राधिकृत शेयर पूंजी 17,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए (17,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए)	17,500	17,500
	17,500	**17,500**
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी 16,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णत प्रदत्त (16,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णत प्रदत्त)	16,500	16,500
	16,500	**16,500**

कंपनी में शेयरधारण का ब्यॉरा

शेयरधारक का नाम		31 मार्च 2018		31 मर्च 2017	
		शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके 9 नामिति		1,650	**100.00**	1,650	**100.00**
कुल		**1,650**	**100**	**1,650**	**100**

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/ अधिकार

(क) वोटिंग

कंपनी में प्रति 10 रूपए मूल्य के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है।
प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए एक मत हेत् पत्र है।

(ख) लाभांश

कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है।

(ग) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में, इक्विटी का धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चात शेष परिसंपत्यिों के लिए पात्र होंगे। यह संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2018		31 मार्च 2017	
	शेयरों की संख्या	रूपए लाख में	शेयरों की संख्या	रूपए लाख में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी	1,650	16,500	1,650	16,500
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-		-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी	**1,650**	**16,500**	**1,650**	**16,500**

11 अन्य इक्विटी

(राशि लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	310.23	263.95
जमाः वर्ष के दौरान संवर्धन	82.71	53.77
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
घटाः प्रदत्त पूंजी में वृद्धिहेतु प्रदत्त शुल्क	-	(7.50)
	392.94	310.23
कुल	**392.94**	**310.23**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
वित्तीय विवरणों के भाग संबंधी नोट

गैर चालू देयताएं

12 वित्तीय देयताएं
(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

12.1 ऋण

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
संबंधित पक्षों से ऋण (नोट 2 का संदर्भ लें)	24,085	8,000
Total	**24,085**	**8,000**

नोट:

i. अन्य अल्पकाली ऋणों के लिए पनर्भ्गतान की शर्तों और अन्य रक्षित दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में उपलब्ध प्रतिभूति का ब्यौरा :-

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	पूनर्भुगतान की अवधि एवं प्रतिभति	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (रक्षित ऋण)	ऋणी की सभी अचल परिसंपत्तियों और चल परिसंपत्तियों के आडमार द्वारा रक्षित, शुल्क, राजस्व परियोजना करार, बीमा दावा, अमूर्त परिसंपत्तियां , एस्क्रो खाता और अन्य, परिसंपत्तियां (नीचे नोट ii का संदर्भ लें)	24,085	8,000

ii. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा लिए ऋण की अनुमोदन शर्तों के अनुसार, देय ब्याज एसबीआई की मूल दर +0.50 प्रतिशत के समतुल्या होगी, जो वर्तमान में प्रति माह देय के अनुसार प्रतिवर्ष 9.15 है। कंपनी ने मूल संगठन इरकॉन सेऋण पुनर्भुगतान अवधि कोबढाने का अनुरोध किया है क्योंकि ऋण करार में मोरेटोरियम खंड की तर्ज पर अभी परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ होना बाकी है।

चालू परिसिंपत्तियां

13 वित्तीय देयताएं

(परिशोधित लागत पर उचित मूल्य)

13.1 ऋण

	व्यापार प्राप्य	
विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
- संबंधित पक्षों से ऋणें पर चालू परिपक्वताएं (संदर्भ नोट 22)	-	-
कुल	**-**	**-**

13.2 व्यापार प्राप्य

	व्यापार प्राप्य	
विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम	-	-
अन्य		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता (संदभ्र नोट 22)	22.18	20.81
(ख) संबंधित पक्ष (संदभ्र नोट 22)	2,567.92	352.45
कुल	**2,590.10**	**373.26**

प्रतिभूति जमा और छह महीनों से अधिक देय का ब्यौरा

विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
भुगतान के लिए देय की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय		
रक्षित, वसूली योग्य	-	-
अरक्षित, वसूली योग्य	-	-
	-	-
भुगतान के लिए देय की तिथि से छह महीने से कमकी अवधि के लिए देय		
रक्षित, वसूली योग्य	-	-
अरक्षित, वसूली योग्य	2,590.10	373.26
	2,590.10	**373.26**
कुल व्यापार देय	**2,590.10**	**373.26**

चालू देयताएं

वित्तीय देयताएं

13.3 अन्य वित्तीय देयताएं

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
स्टाफ	0.16	-
रोकी गई राशि	-	-
अन्य (नोट 24 का संदर्भ लें) संबंधित पक्ष	41.15	86.69
कुल	**41.31**	**86.69**

14 अन्य चालू देयताएं

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(क) अन्य		
सांविधिक देयः	242.71	79.80
अन्य	0.28	25.21
कुल	**242.99**	**105.01**

15 प्रावधान

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		-	-
संदिग्ध परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान		-	-
अन्य प्रावधान - सीएसआर (संदर्भ नोट 25(xiv)	15.1	7.49	4.13
		7.49	**4.13**
घटा: संदिग्ध परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान (पृथक रूप से प्रस्तुत)		-	-
कुल		**7.49**	**4.13**
चालू		**7.49**	**4.13**
गैर चालू		**-**	**-**

एएस-37 की अपेक्षाओं के अंतर्गत प्रावधान संचलन का प्रकटन निम्नानुसार है:

15.1 अन्य प्रावधान:

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
1अप्रैल 2016 को	
चाल	-
गैर चाल	-
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4.13
वर्ष के दौरान उपयोग	-
वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-
विनिमय लाभ	-
विनिमय हानि	
रियायत बंद करना और रियायत दर में परिवर्तन	-
31 मार्च 2017 को	**4.13**
चालू	**4.13**
गैर चालू	**-**
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3.36
वर्ष के दौरान उपयोग	-
वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-
विनिमय लाभ	-
विनिमय हानि	-
रियायत बंद करना और रियायत दर में परिवर्तन	-
31 मार्च 2018 को	**7.49**
चालू	**7.49**
गैर चालू	**-**

गैर चालू देयताएं

15.2 प्रावधान
आयकर हेतु प्रावधान:

विवरण	आयकर
1अप्रैल 2016 को	**-**
चालू	70.54
गैर चालू	-
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	17.05
वर्ष के दौरान उपयोग	161.56
वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-
विनिमय लाभ	-
विनिमय हानि	-
31 मार्च 2017 को	**-73.97**
चालू	-73.97
गैर चालू	-
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	33.08
वर्ष के दौरान उपयोग	295.64
वर्ष के दौरान बट्टाखाता	0.05
विनिमय लाभ	
विनिमय हानि	-
31 मार्च 2018 को	**-336.52**
चालू (नोट 8 का संदर्भ लें)	**-336.52**
गैर चालू	**-**

16 प्रचालनों से राजस्व

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	27,754.36	17,788.96
कुल	**27,754.36**	**17,788.96**

17 अन्य आय

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक ब्याज सकल	125.94	87.93
घटाः ग्राहकों को अग्रेषित ब्याज	-	-
विविध	0.99	-
कुलप	**126.93**	**87.93**

18 प्रचालनिक और प्रशासनिक व्यय

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक		प्रशासनिक	
		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण					
आरंभिक शेष		-	-	-	-
जमाः वर्ष के दौरान खरीद		-	-	-	-
		-	-	-	-
घटाः समापन शेष		-	-	-	-
कार्य व्यय		25,508.92	17,143.49	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय आदि		242.27	270.94	-	-
मशीनों का किराया प्रभार		-	0.58	-	-
निवल विनिमय उच्चावचन घाटा				-	-
किराया - गैर आवासीय		6.58	6.31	-	-
दर एवं कर		4.14	19.16	-	-
मरम्मत एवं अनरक्षण					
-- भवन		-	-	-	-
-- कार्यालय एवं अन्य		-	0.36	-	-
ऊर्जा, बिजली एवं जल प्रभार		-	0.35	-	-
बीमा		34.71	34.07	-	-
यात्रा एवं कन्वेयेंस		1.83	0.42	-	-
मद्रण एवं स्टेशनरी		0.13	1.01	-	-
पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स		0.20	0.24	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	(iii)	12.27	4.47	0.53	0.26
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	(i) (ii) & (iv)	-	-	1.46	0.84
विज्ञापन और प्रचार		-	-	-	-
विविध व्यय		0.48	0.72	-	-
पूर्व अवधि व्यय		-	-	-	-
सीएसआर प्रावधान		3.36	4.13	-	-
कुल		**25,814.89**	**17,486.24**	**1.99**	**1.10**

सांविधिक लेखापरीक्षकों को भगतान

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(I) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू	1.15	0.68
(ii) कर लूखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.23	-
(iii) प्रमाणन शुल्क	-	0.19
(iv) यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट भत्ता	-	-
- स्थानीय	0.09	0.16
- विदेशी	-	-
कुल	**1.46**	**1.03**

19 कर्मचारी परिश्रमिक और लाभ

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल	प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल
वेतन, परिश्रमिक और बोनस		227.46	-	227.46	163.51	-	163.51
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		17.01	-	17.01	13.20	-	13.20
विदेशी सेवा अंशदान		-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ		31.98	-	31.98	29.58	-	29.58
वीआरएस व्यय		-	-	-	-	-	-
कर्मचारी कल्याण		0.003	-	0.00	-	-	-
कुल		**276.45**	**-**	**276.45**	**206.29**	**-**	**206.29**

20 वित्तीय लागत

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय		1,664.17	96.59
घटा: ऋण निधियों पर अर्जित ब्याज		4.16	
निवल ब्याज व्यय		1,660.01	
अन्य ऋण लागत			
-बैंक गारंटी व अन्य प्रभार		2.75	3.79
कुल		**1,662.76**	**100.38**

21 मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति , संयंत्र व उपकरण		0.26	0.18
अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-
निवेश परिसंपत्तियां		-	-
कुल		**0.26**	**0.18**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के भाग से संबंधित नोट

22 संबंधित पक्ष संव्यवहार

क. संबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत सरकार

क्र.सं	संव्यवहार का पर्ष	(राशि लाख रूपए में)
(i)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	
क.	**सेवा प्रदान करना**	
	कार्य संविदा (1761.97 लाख रूपए के जीएसटी सहित)	25,508.92 (17,623.28)
	उपयोगिता अंतरण (16.27 लाख रूपए के जीएसटी सहित)	1,303.33 (1,941.99)
	किराया (0.126 लाख रूपए के जीएसटी सहित)	2.23 (2.11)
		26,814.48 **(19,567.38)**
ख.	**वित्तीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अंतरण**	
	ऋण - गैर चालू एवं चालू	16,085.00 (8,000.00)
	इक्विटी अंशदान	- (7,500.00)
	ऋण पर ब्याज	1,664.17 (96.46)
		17,749.17 **(15,596.46)**
ग.	**निकायों की ओर से देयताओं का निपटान**	
	व्ययों की प्रतिपूर्ति	142.49 (109.12)
		142.49 **(109.12)**

पिछले वर्ष के आंकड़े प्रकाष्ट में प्रस्तुत हैं

(ii)	**वर्ष के अंत में बकाया शेष**	
क.	**सेवा प्रदान करना**	
	व्यापार प्राप्य	2,567.92 (352.45)
		2,567.92 **(352.45)**
ख.	**वित्तीय व्यवस्थाओं के अतर्गत अंतरण**	
	वित्तीय देयताएं - ऋण - ऋण	24,085 (8,000.00)
	इकिवटी अंशदान	16,500 (16,500.00)
		40,585.00 **(24,500.00)**
ग.	**अन्य वित्तीय देयताएं**	
	ऋण पर ब्याज	- (86.69)
घ.	**अन्य चालू देयताएं**	0.00 (-)
	व्यय की प्रतिपूर्ति	41.15 (24.02)
		41.15 **(110.71)**

पिछले वर्ष के आंकड़े प्रकाष्ट में प्रस्तुत हैं

23 वित्तीय प्रलेख

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	उचित मूल्य	वहन मल्य		उचित मल्य	
वित्तीय परिसंपत्तियां		**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
परिशोधित लागत					
व्यापार प्राप्य	स्तर 3	1,942.26	1,310.48	1,942.26	1,310
ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	स्तर 3	95.78	95.78	95.78	95.78
रोकड एवं रोकड़ समतुल्य	स्तर 3	3,530.89	607.33	3,530.89	607.33
ऋण व अग्रिम	स्तर 3	3.32	2.90	3.32	2.90
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर 3	10,100.49	2.06	10,100.49	2.06
अन्य परिसंपत्तियां		**15,672.74**	**2,018.54**	**15,672.74**	**2,018.54**
वित्तीय देयताएं					
परिशोधित					
ऋण	स्तर 3	24085.00	8,000.00	24,085.00	8,000.00
व्यापार प्रप्य	स्तर 3	2590.10	373.26	2,590.10	373.26
अन्य वित्तीय देयताएं	स्तर 3	41.31	86.69	41.31	86.69
कल देयताएं		**26,716.41**	**8,459.95**	**26,716.41**	**8,459.95**

वितीय परिसंपतियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है जिस पर सहमत पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में साधनों का :

अन्य नोट

i) प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार का भुगतान, अल्पकालिक उधार, और अन्य वितीय देनदारियों के उचित मूल्य इन प्रलेखों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी वहन मात्रा का अनुमान लगाते हैं।

ii) वितीय परिसंपतियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहन मूल्यल उनके उचित मूल्यों के बराबर होती है।

iii) वितीय परिसंपतियों और वितीय देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर संभवित या परिसमापन बिक्री के अतिरिक्तम अन्य इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में प्रलेखों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

iv) ऋणों के लिए उचित मूल्यों की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती रोकड़ प्रवाह के आधार पर की गई थी। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम सहित अप्रमाणित आदानों के समावेश के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे महत्वहीन माना गया है।

v) गैर-चालू ऋणों के उचित मूल्य मौजूदा ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह पर आधारित हैं। उन्हें अपने स्वयं के क्रेडिट जोखिमों सहित अप्रमाणित आदानों को शामिल किए जाने के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनका कि महत्वहीन होने के लिए तुलन पत्र तिथि पर मूल्यांकन किया गया था।

vi) दिनांक 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 उचित मूल्य माप के बीच कोई हस्तांतरण नहीं किए गए थे, और स्तर 3 उचित मूल्य माप में और बाहर कोई हस्तांतरण नहीं था।

B

उचित मूल्य पदक्रम का स्पष्टीकरण

कंपनी वितीय प्रलेखों को मापती है, जैसे कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर निवेश। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया गया है। सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ, जिनके लिए वितीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए जाते हैं, जो निम्न स्तर पर आधारित होते हैं, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर होता है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

i) स्तर I — पदानुक्रम में उद्धृतमूल्यों का उपयोग करके मापा गया वितीय साधन शामिल हैं। इसमें सूचीबद्धइक्विटी प्रलेख, ट्रेडेड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं, जिन्होंने कीमत उद्धृतकी है। सभी इक्विटी उपकरणों (बांड सहित) का उचित मूल्य जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समापन मूल्य का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है। म्यूचुअल फंड को बंद करने वाली एनएवी का उपयोग किया जाता है। कारोबार किया जाता है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समापन मूल्य का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है। म्यूचुअल फंड को बंद करने वाली एनएवी का उपयोग किया जाता है।

ii) स्तर 2 — वितीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापार बांड, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो कि पर्यवेक्षित बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई पर यथासंभव कम आश्रय करते हैं- विशिष्ट अनुमान। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य हैं, तो उपकरण को स्तर-2 में शामिल किया गया है।

iii) स्तर 3 — यदि महत्वपूर्ण आदानों में से एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो स्त र-3 को स्तर में शामिल किया गया है। यह गैर-सूचीबद्धइक्विटी प्रतिभूतियों के लिए मामला है, आकस्मिक विचार स्तर 3 में शामिल है।

वितीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वितीय देनदारियों में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वितीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्यकंपनी के प्रचालन को वित प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वितीय संपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्तियां, और नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन के लिए प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वितीय जोखिमों को उजागर करती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी ने अपने वितीय जोखिमों को कम नहीं किया है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वितीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वितीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य

व्यापार और अन्य प्राप्तियां

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और देश जिसमें ग्राहक संचालित होता है, के चूक जोखिम सहित, ऋण जोखिम मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ता है।

निवेश

कंपनी आमतौर पर नकदी प्रतिभूतियों में निवेश करके और केवल एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले समकक्षों के साथ ऋण जोखिम के लिए अपने जोखिम को सीमित करती है। कंपनी

नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वितीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है, जहां तक संभव हो, कि देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त नकदी होगी।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता, वित्त पोषण के साथ-साथ निपटान प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्तव, इस तरह के जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा देखरेख की जाती हैं।

कंपनी की कार्यशील पूंजी की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
रोकड एवं रोकड़ समतुल्य	3,530.89	607.33
	3,530.89	607.33

नीचे दी गई तालिका दिनांक 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017 को महत्वपूर्ण वित्ती ाय देयताओं की संविदागत परिपक्वता के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

31 मार्च 2018 को

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	16,085.00	8,000	-
व्यापार प्राप्य	2,590.10	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	41.31	-	-

31 मार्च 2017 को

विवरण	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	8,000.00	-	-
व्यापार प्राप्य	373.26	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	86.69	-	-

अत्यधिक जोखिम संभाव्यता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में कार्यशील होते हैं, या समान आर्थिक विशेषताएं होती हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने की उनकी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का कारण बनती हैं। सांद्रता किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक सांद्रता से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। संबंध और उद्योग दोनों स्तरों पर जोखिम सांद्रता का प्रबंधन करने के लिए कंपनी के भीतर चयनात्मक हेजिंग का उपयोग किया जाता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्यएक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

पूंजी संरचना इस प्रकार है:

(राशि लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के प्रति कुल इक्विटी	16,892.94	16,810.23
कुल पूंजी प्रतिशत के रूप में	41.22	67.76
चालू ऋण	-	-
गैर चालू ऋण	24,085.00	8,000.00
कल ऋण	24,085.00	8,000.00
कुल पूंजी प्रतिशत के रूप में	58.78	32.24
कुल पूंजी (ऋण और इक्विटी)	**40,977.94**	**24,810.23**

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000044एन

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

अशोक कुमार गोयल
निदेशक
डीआईएन:05308809

आनन्द कुमार सिहं
निदेशक
डीआईएन: 07018776

राहुल अग्रवाल
साझेदार
स.सं501642

संजय पोद्दार
(मुख्य वित्त अधिकारी)

अजय कुमार सिंह
मु.का.अधिकारी

सुदोधनी
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.07.2018

24. प्रकटनों सहित लेखों के भाग का निर्माण करने वाले नोट

i. आकस्मिक देयता(उस स्तर तक जहां प्रावधान नहीं किया गया है):

- कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य रूपए।
- प्रतिबद्धता: व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में की गई बिक्री/प्रापण के संबंध में कंपनी की पूंजीगत प्रतिबद्धता 17**,600.09 लाख रूपए (पिछले वर्ष - 42,347.04 लाख रुपए)** तथा अन्य प्रतिबद्धताएं **शून्य रूपए (31.03.2017 को समाप्ति वर्ष हेतु - शून्य)** है, जिसे विस्तृत विवरण से बचने के लिए प्रकट नहीं किया गया है।

ii. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

कंपनी की प्रति शेयर आमदनी का निर्धारण करने के लिए शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ (यथा कर पश्चात और सांविधिक/विनियामक विनियोजनों के पश्चात लाभ) को ध्यान में रखा जाता है। प्रति शेयर मूल अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या होती है।

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	इकाई	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
<u>मूल और ह्रासित</u>			
वर्ष के लिए निवल लाभ/(घाटा) (क)	रूपए	82.71	53.77
मूल ईपीएसके लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (ख)	संख्या	16,500	1,264.38
ह्रासित ईपीएसके लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (ग)	संख्या	16,500	1,264.38
प्रति शेयर आमदनी – मूल **(क/ख)**	रूपए	0.05	0.04
प्रति शेयर आमदनी – ह्रास **(क/ग)**	रूपए	0.05	0.04

iii. कंपनी को किसी "आपूर्तिकर्ता" से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गता आते हैं और इसलिए, इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित प्रदत्त/देय ब्याज सहित समग्र रूप से वर्ष के अंत में अप्रदत्त राशि से संबंधित कोई प्रकटन, यदि कोई हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है। सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर चिह्नित ऐसे पक्षों तक सीमित है। इसका उत्तर लेखापरीक्षकों द्वारा दिया गया है।

iv. कंपनी ने किसी लघु उद्योग इकाई के आपूर्तिकर्ता की कोई सेवा प्राप्त नहीं की है। इस सूचना के आधार पर लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम को देय राशि को 30 दिन से अधिक की अवधि के लिए बकाया है, वह 31 मार्च 2018 को **शून्य** रूपए है।

v. कंपनी के कर्मचारियों को इरकॉन (धारक कंपनी) से पीबीटीएल में नामांकन/सेकमेंट आधार पर तैनात किया गया है। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक कर्मचारियों से संबंधित पारिश्रमिक आदि का भुगतान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के मापदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है।

vi. कर्मचारी लाभ

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को धारक कंपनी से प्राप्त बीजकों/ऋण पत्रों के आधार पर लेखांकित किया जाता है। लेखांकन मानक -19 (सांशोधित) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कम्रचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

vii. वर्ष के दौरान आयात और विदेशी मुद्रा व्यय के **शून्य** मामले हुए हैं और इसलिए आयातों और विदेशी मुद्र व्यय पर सीआईएफ मूल्य के प्रकटन का प्रावधान लागू नहीं है।

viii. प्रचालन सेगमेंट (इंड एएस - 108 के अंतर्गत प्रकटन)

चूंकि कंपनी सड़क अभिकल्प, वित्त, अनुरक्षण, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) के कार्य में क्रियाशील है इसलिए एक से अधिक रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है।

ix. एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता सेवाओं के स्थानान्तरण का कार्य करने की आवश्यकता है, यदि ये उपयोगिता सेवाएं परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पर सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार की सेवाओं के स्थानान्तरण की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) उस सेवा के स्वामी निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने एनएचएआई की स्वीकृति के पश्चात उपयोगिता के सम्पूर्ण कार्य को बैक-टू-बैक आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को उपठेके पर अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च 2018 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने कंपनी को 412,444,292 रुपए (पिछले वर्ष 282,110,779 रुपए) का बिल प्रस्तुत किया है। कंपनी नियमित रूप से एनएचएआई के समक्ष दावे प्रस्तुत करता है और इसका पुनर्विनियोजन किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2018 तक इन दावों के प्रति एनएचएआई से 2059.47 लाख रूपए रुपए (टीडीएस सहित) प्रस्तुत हुए हैं शेष राशि को चालू-व्यापार प्राप्य के रूप में स्वीकार किया गया है और यह एनएचएआई के साथ समाधान के अधीन है और इसे अभी एनएचएआई से प्राप्त/पुष्टि की जानी है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने उपयोगिता शिफ्टिंग पर एनएचएआई द्वारा काटे गए श्रम उपकर पर व्यय को लेखांकित नहीं किया है क्योंकि समाधान लंबित है और श्रम उपकर की राशि गणनायोग्य नहीं है।

x. 57.47 लाख रूपएके प्राप्य कार्य संविदाओं पर वेट की राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों में दी गई है क्योंकि उपोगिता शिफ्टिंग पर पूर्ववती वेट व्यवस्था में एनएचएआईक्षक्षरा वेट की कटौती की गई है। ग्राहकोंऔर कर विभाग से इसकी वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। उपयोगिता शिफ्टिंग के कारण एनएचएआई से देय राशि की वसूली समायोजन के अधीन है। यहद उपयोगिता शिफ्टिंग पर एानएचएआई द्वारा वेट की कटौती की जाती है तो प्राप्य कार्य संविदाओं पर वेट की राशि में तदनुसार वृद्धि हो जाएगा।

xi. वित्तीय विवरणों में चालू और गैर चालू वर्गीकरणों के प्रयोजन हेतु कंपनी का प्रचालन चक्र एक वर्ष का है।

xii. आरेखणों की स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब, स्थानीय ग्रामवासियों की मांग, उपयोगिता परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण और वन क्लियरेंस प्राप्त न होने, आदि से संबंधित मुद्दों के कारण कुछ क्षेत्रों में कार्य आरंभ नहीं हुआ/विलंबित हुआ है। इन प्रचालनिक कारकों की वजह से लक्ष्य-।। और लक्ष्य-।। को प्राप्त करने में विलंब हुआ। कंपनी ने कंपनी के भाग पर क्षति/वित्तीय प्रभावों के बिना रियायत करार के खंड 12.4.2 के अतर्गत लक्ष्य की समयसीमा में परिवर्तन करने के लिए एनएचएआई से अनुरोध किया है। कंपनी को लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब के संबंध में स्वतंत्र इंजीनियर से सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने 31 मई 2018 (31 मार्च 2018 तक 160.45 लाख रूपए) तक क्षति के रूप में 720.12 लाख रूपए की राशि की कटौती की है। कंपनी पहले से एनएचएआई के संपर्क में है, क्योंकि यह विलंब आईपीबीटीएल के कारण नहीं हुआ है। इस प्रकार आईएसटीपीएल विलंब के प्रति दावे को देयता या आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी का विचार है कि यह विलंब आईपीबीटीएल के कारण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2018 तक एनएचएआई द्वारा काटी गई राशि यथा 160.45 लाख रूपएको अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत वसूली की जाने वाली (वसूलीयोग्य) राशि के रूप में दर्शाया गया है।

xiii. सेवा रियायत करार के लेखांकन पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)।। (अनुबंध-क) के अनुसार एनएचएआई से रोकड़ सहायता को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है, जहां यह युक्तिसंगत आश्वासन है कि अनुदान -रोकड़ सहायता प्राप्त होगा और कंपनी सभी संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगी। इसके लिए लेखांकन उपचार इंड एएस-11 -सेवा रियायत करारकके अनुबंध-क के अनुसार किया गया है।

कंपनी ने दिनांक 13 जून 2017 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में कुल परियोजना लागत को 844.08 करोड़ रूपए से संशोधित करके 725.61 करोड़ रूपए कर दिया है। परियोजना की संशोधित निधियन व्यवस्था निम्नानुसार है:

विवरण	मूल परियोजना लागत	संशोधित परियोजना लागत
इक्विटी पूंजी	165.00 करोड़ रूपए	165.00 करोड़ रूपए
ऋण (कर्ज) पूंजी	352.08 करोड़ रूपए	270.37 करोड़ रूपए
एनएचएआई अनुदान(इक्विटी सहायता)	327.00 करोड़ रूपए	290.24 करोड़ रूपए
कुल	844.00 करोड़ रूपए	725.61 करोड़ रूपए

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2018 को 240.85 करोड़ रूपए के ऋण एकत्र किए हैं और सेवा रियायत करार के अनुसार कंपनी द्वारा स्वीकृत अनुदान की आनुपातिक राशि 223.74 करोड़ रूपए है, जो मूल परियोजना लागत तथा मूल वित्तीय पैकेज है।

कंपनी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि संशोधित कुल लागत और वित्तीय पैकेज को एनएचएआई द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है और इसलिए, अनुदान को मूल परियोजना लागत और मूल वित्तीय पैकेज के आधार पर लेखांकित किया गया है।

xiv. कंपनी ने इंड एएस 109 के अनुसार इसके उचित मूल्य पर प्रतिधारण राशि को स्वीकार नहीं किया है। प्रतिधारण राशि 95.78 लाख रूपए है और इसे **"**व्यापार प्राप्यों**"** के रूप में दर्शाया गया है। प्रबंधन के अनुसार, उचित मूल्य का प्रभाव आंशिक है और उचित मूल्य की गैर-स्वीकृति कंपनी के समूह लेखांकन नीति के अनुसार निरंतर है।

xv. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत उपलब्ध कराना होगा। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूच-**vii** के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। कंपनी ने सीएसआर व्यय के लिए 336,473 रूपए का प्रावधान किया है। दिनांक 31 मार्च 2018 को संचयी सीएसआर प्रावधान 749,573 रूपए है। कंपनी निर्माण चरण पर है और उसने अभी अपना प्रचालन आरंभ नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने सीएसआर के प्रति कोई राशि खर्च नहीं की है और इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत किया गया है।

xvi. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है जहां गई चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के लिए आवश्यक हुआ।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 000044**एन**

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सीए राहुल अग्रवाल	**(दीपक सबलोक)**	**(अशोक कुमार गोयल)**	**(आनन्द कुमार सिंह)**
भागीर	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 501642	**डीआईएन: 03056457**	**डीआईएन: 05308809**	**डीआईएन: 07018776**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(संजय पोद्दार)**	**(अजय कुमार सिंह)**	**(सुदोधनी)**
दिनांक: 23.07.2018	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के नोट

1. कंपनी का परिचय

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("इरकॉन पीबीटीएल") (सीआईएन) यू45400डीएल2014 जीओआई1272220, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब इसका निगमन इरकॉन द्वारा 30.09.2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक विशेष कार्य वाहन के रूप में किया गया था और और इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 में किमी 55.250 से किमी 163.50 तक बीकानेर-फलौदी खंड को चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी)(टोल) आधार पर किया गया था। कंपनी ने व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्रापत करने हेतु दिनांक 10 अक्तूबर 2014 को फॉर्म सं. 21 पर एमसीए को आवेदन प्रस्तुत किया और 14 नवंबर 2014 को उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया था। तदनुसार एसपीवी ने 4 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत करार के अनुच्छेद 24, खंड 24.1 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत ग्राही को करार की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करना अपेक्षित है ताकि एनएचएआई परियोजना के वास्तविक कार्य आरंभ हाने से पूर्व वह नियुक्ति तिथि, जिसे निर्धारित तिथि कहते हैं, की अधिसूचना कर सके। रियायतग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया था; तदनुसार, एनएचएआई द्वारा 14 अक्तूबर 2015 को नियुक्ति तिथि निर्धारित की गई थी। निर्माण अवधि सहित 26 वर्ष की रियायत अवधि 14 को आरंभ हुई जैसा कि एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एनएचएआई द्वारा 327.00 करोड़ रूपए के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण का आधार

तैयारी का आधार

(i) अनुपालन रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2018 तक तथा को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी ने भारत में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत यथाअधिसूचित लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं।

(II) **मापन का आधार**

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है:-

क. सेवा रियायत करार के अंतर्गत सम्पत्तियां और देयताएं।

ख. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओंको उचित मूल्य पर मापा गया है (वित्तीय प्रलेखों के संबंध में लेखांकन नीति का संदर्भ लें)।

ग. सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र (12 महीने) और इस अधिनियम की अनुसूची-।।। के अंतर्गत निर्धारित मापदंडक के अनुसार चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. कंपनी कं वित्ती विवरणरों को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत की क्रियात्मक मुद्रा है।

2.2 **चालू और गैर चालू के वर्गीकरण का आधार**

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर चालू वर्ग में वर्गीकृत किया गया है: परिसंपत्तियों को चालू में वर्गीकृत किया गया है यदि :

- वह कंपनी के समान्य प्रचालन चक्र में वसूली की जानी है या बिक्री या उपभोग के लिए प्रयोग की जानी है, या
- उसे मुख्य रूप से व्यापार किए जाने के लिए रखा गया है, या

- इसे रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीनों के भीतर वसूली किए जाने की संभावना है, या
- यह रोकड़ या रोकड़ समतुल्य है, बशर्ते यह विनियम के लिए प्रतिबंधित है या प्रचालन की तिथि के पश्चात कम से कम बारह महीनों के भीतर देयता के निपटान के लिए प्रयोग की जाएगी।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

देयता को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब

- इसके कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है, या
- इसे मुख्य रूप से व्यापार किए जाने के प्रयोजन से रखा गया है, या
- इसका रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीनों के भीतर निपटान किया जाना है, या
- कंपनी के पास कम से कम बारह महीनें के लिए देयता के निपटान के स्थगन का अशर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

प्रचालनिक चक्र प्रक्रिया हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और उनके रोकड़ या रोकड़ समतुल्य में वसूली के बीच का समय है।

2.3 मुद्रा की क्रियाशीललता और प्रस्तुतीकरण

इन इंड एएस वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए में तैयार किया गया है जो कि कंपनी की क्रियाशील मुद्रा है। रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाएं दो दशमलब के साथ रुपए के निकटतम में रांउडिड ऑफ की गई हैं।

2.4 अर्धवार्षिक वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जारी मानक किन्तु अभी प्रभावी नहीं:-

(क) इंड एएस-115: ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

एमसीए ने फरवरी 2015 में ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर इंड एएस 115 को अधिसूचित किया था। यह मानक ग्राहकों के साथ संविदाओं से उत्पन्न राजस्व पर लागू होने वाले नए पांच चरणीय मॉडल को स्थापित करेगा। इंड एएस 115 केक अंतर्गत, राजस्व को उस राशि के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो उस राशि को प्रदर्शित करता है, जिसके लिए ग्राहकों से वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण हेतु विनियम के लिए निकाय पात्र होगा। इंड एएस 115 के सिद्धांत राजस्व के मापन और स्वीकृति के लिए अधिक संरचनात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। नया राजस्व मानक सभी निकायों पर लागू होगा और यह इंड एएस के अंतर्गत अपेक्षित सभी चालू राजस्व स्वीकृतियों का अधिक्रमण करेगा।

इंड एएस 115 की प्रभावि तिथि पूर्व स्वीकृति अनुमति सहित दिनांक 1 जनवरी 2018 से आरंभ होने या के पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधियां हैं। कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह दिनांक 1 अप्रैल 2018 को आरंभ वित्तीय वर्ष से इन मानकों को स्वीकार करे। वर्तमान में कंपनी इंड एएस की अपेक्षिाओं का मूल्यांकन कर रही है और अभी वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

2.5 सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों का लेखांकन

कंपनी के पास टोल रोड रियायत अधिकार हैं जहां कंपनी ने विशिष्ट समायावधि के लिए जन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना का अभिकल्प,निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफटीओ) किया है। इन करारों में सम्पूर्ण उपयोगिता जीवनकाल के लिए सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत करारों में प्रयुक्त अवसंरचना शामिल है। इन व्यवस्थानों को विचाराधीन प्रकृति के आधार पर लेखांकित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल का प्रयोग उस स्तर तक किया गया है कि कंपनी जनसेवा के प्रयोक्ताओं से प्रभाव वसूलने का अधिकार (लाइसेंस) प्राप्त करे।वित्तीय परिसंपत्ति मॉडल का प्रयोग वहां किया गया है जब कंपनी को निर्माण सेवाओं के लिए अनुदाता से या के निदेशों पर अन्य वित्तीय परिसंपत्ति या रोकड़ को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिका प्राप्त है। जहां केवल रोकड़ प्राप्त करने का अशर्तअधिकारी ही सेवा में शामिल है, वहां प्रत्येक घटक के लिए पृथक लेखांकन हेतु, दो मॉडलों को संयुक्त किया जाता है। यदि कंपनी एकल संविदा या व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक से अधिक सेवा प्रदान करती है (यथा निर्माण या स्तरोन्नयन सेवा और प्रचालन सेवाएं) वहां प्राप्त या प्राप्य धनराशि को प्रदानकी गई सेवाओं के संबंधित उचित मूल्यों के संदर्भ में आवंटित किया गया है।

- अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल

कंपनी रियायत व्यवस्था से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों को स्वीकार करती है, जब उसे रियायत अवसंरचना के प्रयोगों से प्रभार वसूलने का अधिकार प्राप्त हो। सेवा रियायत करार में निर्माण या स्तरोन्नयन सेवाओंके उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त अमूर्त परिसंपत्ति को प्रदत्त सेवाओं के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। आरंभिक स्वीकृति के उपरांत, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पूंजीगत ऋण लागतें घटा संचित परिशोधन शामिल है।

सेवा रियायत करार में अमूर्ति परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगिता जीवनकाल की अवधि जब से होती है जब कंपनी रियायत अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना के प्रयोग हेतु जनसाधारण से प्रभार वसूलने में सक्षम होती है।

रियायत अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन

परिशोधन को अनुमानित उपयोजिता जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा आधार पर प्रभारित किया जाता है। अनुमानित जीवनकाल और परिशोधन विधि की प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है ताकि पूर्वलक्षी आधार पर अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तनों को लेखांकित किया जा सके।

कंपनी सेवा रियायत करार के अंतर्गत परिसंपत्त्यिों के लेखांकन से संबंधित इंड एएस 11 के परिशिष्ट-क के अनुसार अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल का अनुसरण कर रही है।

- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण

कंपनी इक्विटी सहायता के रूप में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) को स्वीकार करती है। वीजीएफ की कुल संभावित राशि को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति (सेवा रियायत करार के अंतर्गत सृजित की गई) और चालूपरिसंपत्तियों के अंतर्गत प्राप्य से कम किया जाता है और इसे सेवा रियायत करार से संबंधित इंड एएस-।। के परिशिष्ट क की तर्ज पर स्वीकार किया जाता है। वीजीएफ के प्रति प्राप्त किसी राशि भी राशि को तत्पश्चात चालू परिसंपत्ति से घटाया जाता है, जो कि उपर्युकत अनुसार सृजित है।

2.6 इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष में स्वीकार किया जाएगा, जिस वर्ष यथा उचित शेयरधारकों या निदेशक मंडल द्वारा संबंधित लाभांशों को स्वीकार किया गया है।

2.7 परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यह्रास तथा इम्पेयर्ड घाटों, यदि कोई हो, को घटा कर निर्धारित किया जाता है।

मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अरंभिक लागत में आयात ड्यूटी और गैर-वसूलीयोग्य क्रय सहित उसका क्रय मूल्य, संबंधित ऋण लागत तथा परिसंपत्ति को कार्यशील स्थिति और उसके प्रयोग स्थल तक लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष संबंधित लागत शामिल है। इसमें परिसंपत्ति को अप्रचालनिक बनाने तथा हटाने और प्रयोग के पश्चात स्थल की पुन:बहाली की संभाविल लागत का वर्तमान मूल्य भी शामिल है, यदि उक्त प्रावधान के लिए मान्यता मापदंड पूरा किया गया है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रचालन में लाने के पश्चात किए गए व्यय जैसे मरम्मत और अनुरक्षण को सामान्य रूप से उस अवधि में लाभ और हानि विवरणों में प्रभारित किया जाएगा, जिस अवधि में यह लागतें वहन की गई हैं। प्रमुख निरीक्षक अैर ओवरहॉल व्यय को पूंजीकृत किया जाएगा यदि मान्यता मापदंड को पूरा किया गया है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों के निपटान पर लाभों और हानियों का निर्धारण परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहनीय लागत के निपटान से प्राप्त राशि से तुलना द्वारा किया जाएगा, और इसे आय एवं व्यय के विवरण में अन्य आय/अन्य व्ययों के भीतर निवल में स्वीकार किया गया है।

परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण के अपशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाएगी और इसका समायोजन आगामी रूप से, यदि उचित हो, किया गया है।

2.8 मूल्यह्रास

विकास और निमार्ण की प्रक्रिया में परिसंपत्तियों तथा फ्रीहोल्ड भूमि का मूल्यह्रास निर्धारित नहीं किया गया है।

अन्य परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास और हानि हेतु किसी प्रावधान पर लेखांकित किया गया है। मूल्यह्रास तब आरंभ होता है जब परिसंपत्ति उनके लक्ष्ति प्रयोग हेतु तैयार हो।

मूल्यह्रास का परिकलन मूल्यह्रासित राशि पर किया जाता है, जो कि परिसंपत्ति की लागत घटा इसका अवशिष्ट मूल्य है। मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -।। द्वारा निर्धारित संपत्तिकी अनुमानित उपयोगिता जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार पर प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए पट्टा खाता घटा अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के परिकलन के लिए किया जाता है।

मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरव्यापी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

2.9 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि उस परिसंपत्ति से भावी आर्थिक लाभ उपक्रम को प्राप्त होंगे और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन और हानि यदि कोई हो पर आका जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अस्वीकृति से उत्पन्न लाभों या हानियों को उनके निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और इन्हें अस्वीकार किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में लेखांकित किया जाता है।

2.10 रोकड़ एवं बैंक शेष

तुलन पत्र मं रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद,तीन महीने या कम की मूल परिपक्वता वाले बैंक के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के अध्याधीन हैं। इस प्रयोजन हेतु रोकड़ प्राह, रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है।

2.11 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह का लेखांकन इंड एएस-7 "रोकड़ प्रवाह विवरण" में निर्धारित अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा कर पूर्व लाभ/(हानि) को गैर रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों और किसी पूर्व या भावी रोकड़ पावतियों या भुगतान आस्थगन या संचयन के प्रभावों के समायोजना किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

2.12 महत्वपूर्ण अनुमान और निर्धारण

1. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय

अनुमान और निर्धारण का एतिहासिक अनुभव और अन्य कारक जैसे भविष्य की संभावनाएं, जिसका निकाय की भावी घटनाओं पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और जो युक्तिसंगत स्तर तक परिस्थितियों के भीतर समझी जाएं, के आधार पर निरंतर मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी भविष्य से संबंधित अनुमान और संभावनाएं निर्धारित करती हे। परिणामी वित्तीय अनुमान प्राय: वास्तविक परिणामों के समान होते हैं। अनुमान और संभावनाएं, जिनमें परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन करने का प्रमुख जोखिम होता है, निम्नानुसार हैं:-

i. राजस्व स्वीकृति

सेवा रियायत करार लेखांकन का अनुप्रयोग

इंड एएस-11 का "सेवा रियायत करार" परिशिष्ट-क "सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं" पर लागू होता है, जिन्हें संविदाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनको अंतर्गत प्रदाता रियायत ग्राही को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के अधिकार अंतरित करता है जो उसे इन सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अवसंरचना के प्रबंधन के प्रतिफल के रूप में विशिष्ट समयावधि के लिए मुख्य सार्वजनिक सुविधाओं पर पहुंच उपलब्ध कराता है।

अधिक विशिष्ट रूप से, यह सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्था पर लागू होता है यदि अनुदाता:-

- यह नियंत्रित और विनियमित करता है कि प्रचालक अवसंरचना से क्या सेवाएं उपलब्ध कराएगा, किसको उपलब्ध कराएग और किस कीमत पर उपलब्ध कराएगा, और

- स्वामित्व या अन्यथा के माध्यम से नियंत्रण - व्यवस्था की अवधि की समाप्ति पर कोई विशिष्ट अवसंरचनात्मक अवशिष्ट हित।

  कंपनी को कतिपय शर्तों और निबंधनों के अध्याधीन और रियायत अवधि के दौरान एनएचएआई से 327 करोड़ रूपए का नियत अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए, इस राशि को इंड एएस 11 के परिशिट-क के अनुसार क्रमश: राजस्व को स्वीकार करते समय विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों से और इसकी लागत से भी घटाया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास रियायत अवधि के दौरान टोल रोड के प्रयोक्ताओं से प्रभार वसूलने का लाइसेंस प्राप्त है, और वह इंड एएस 11 के परिशिष्टक के अनुसार "अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल" का अनुसरण कर रही है।

  कंपनी अपनी सभी परियोजनाओं की लागत को लाभ और हानि में प्रभारित करेगी और निर्माण राजस्व को उचित मूल्य यथा शून्य मार्जिन पर स्वीकार करेगी।

2.13 प्रावधान एवं देयताएं

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

(i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

(ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

(iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को की जाती है।

प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है को करपूर्व रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर निर्धारित किया गया है जो देयता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रुप में स्वीकार किया गया है।

2.14 आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है:

i) भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii) वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

iii) एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2.15 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को यह आकलन किया जाता है कि क्या वहां कोई संकेत है कि परिसंपत्ति (मूर्त या अमूर्त) की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमन है तो, परिसंपत्ति/रोकड़ सृजन इकाई की वसूलीयोग्य राशि का आकलन किया जाता है। वसूलीयोग्य राशि परिसम्पत्ति या रोकड़ सृजन इकाई के निवल बिक्री मूल्य और प्रयोग के इसके मूल्य से अधिक होता है।प्रयोग का मूल्य, परिसंपत्ति के निरंतर प्रयोग से और इसके उपयोगी जीवनकाल की समाप्ति पर इसके निपटान से प्राप्त अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। हानि के आकलन के प्रयोजन से, व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण किया जाता है, बशर्ते परिसंपत्ति रोकड़ प्रवाह को सृजित न करती हो जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र है। निरंतर प्रयोग से रोकड़ प्रवाह सृजित करने वाली पिरसंपत्तियों के लघुतम चिह्नित समूह, जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र हैं, को रोकड़ सृजन इकाई (सीजीयू) माना जाता है। एक परिसंपत्तिया या सीजीयू, जिसका वहन मूल्य उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक है, को हानि माना जाता है और इसे इसके वसूलीयोग्य राशि में अंकित किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह आकलन भी किया जाता है कि क्या कोई ऐसा

संकेत है कि पूर्व लेखांकन अवधि में परिसंपत्ति के लिए स्वीकार्य हानि अब विद्यमान तो नहीं है या कम हो गई है।

2.16 वित्तीय माध्यम

1. वित्तीय परिसंपत्ति

i. आरंभिक स्वीकृति और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्त्यिों और देयताओं को आरंभिक रूप में उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। संव्यहार लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण या जारी करने से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, उन्हें आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य में समायोजित किया जाता है।

ii. अनुवर्ती मापन

- **परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:-**

वित्तीय परिसंपत्तियों को तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है जो मुख्य रूप से मूल बकाया राशि पर मूल और ब्याज के भुगतान हैं। में प्रभाव दर ब्याज ("ईआईआर") विधि के प्रयोग द्वारा इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को वित्तीय आय शामिल है, और

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां:-**

वित्तीय परिसंपत्तियों को तत्पश्चात अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे उस व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित किया गया है जिसका उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त करना है, और परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रुप से मूल और ब्याज के भुगतान को प्रस्तुत करना है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)**

  लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के रुप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं कर ता है, को एफवीटीपीएल के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

  इसके आतरिक्त, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रुप में किसी ऋण उपकरण को स्वीकार नहीं किया है।

  एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

i. आरंभिक स्वीकृति और मापन

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभिक रूप में उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है और ऋण और कर्ज के मामले में, प्रत्यक्ष संबंधितलागत के निवल पर स्वीकार किया गया है। आवर्ती प्रकृति के शुल्कों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि में स्वीकार किया गया है।

ii. **अनुवर्ती मापन**

वित्तीय देयताओं को तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर विधि के प्रयोग द्वारा परिशोधित लागत पर मापा जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्वता के लिए देय व्यापार एवं अन्य भुगतानों को इन प्रलेखों की अल्पकालीन परिपक्वता के कारण अनुमानित उचित मूल्य पर वहन किया जाता है।

2. वित्तीय प्रलेखों की अस्वीकृति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वह वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरित कर देते हैं या इंड एएस 109 के अंतर्गत अस्वीकृति हेतु अंतरण अर्हक हो जाते हैं। कंपनी के तुलन पत्र से

वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के भाग) को अस्वीकार किया जाता है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट दायित्व को पूरा या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।

2.17 आयकर

कर व्यय, जिसमें चालू आयकर और आस्थगित कर, चालू आयकर व्यय शामिल हैं, को उस राशि पर मापा जाता है जिसके आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर प्राधिकरणों को भुगतान किए जाने की संभावना है। राशि का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त कर दरं व कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को अधिसूचित या व्यापक रूप से अधिसूचित हैं।

लाभ और हानि के बाहर स्वीकृत मदों के संबंध में चालू कर को लाभ या हानि (अन्य व़हत आय या इक्विटी दोनों में से कोई) के बाहर स्वीकृत किया जाता है।चालू कर मदों को ओसीआई या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी, दोनों में से किसी में निर्धारित संव्यवहार के सहसंबंध में स्वीकार किया जाता है।

आस्थगित कर के लिए प्रावधान रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों हेतु परिसंपत्तियों और देयताओं तथा उनके वहन राशियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों की तुलनपत्र विधि का प्रयोग करके किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियोंऔर देयताओं को उन कर दरों का मापा जाता है जिन्हें उक्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना है, जब परिसंपत्ति से वसूली हो या देयता का निपटान हो, और यह उन कर दरों (और कर नियम) पर आधारित होगा जिन्हें रिपोर्टिंगतिथि को अधिसूचित या व्यापक रूप से अधिसूचित किया गया है।
आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों यथा अप्रयुक्त कर ऋणों और किसी अप्रयुक्त कर हानियों के अग्रेषित राशि पर स्वीकार किया जाएगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा, जहां संभवत करयोग्य लाभ अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटे जिनका प्रयोग किया जा सकता था के कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर के प्रति उपलब्ध करयोग्य लाभ के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

आस्थगित कर से संबंधित मदों को लाभ और हानि के बाहर स्वीकृत मदों के संबंध में चालू कर को लाभ या हानि (अन्य व़हत आय या इक्विटी दोनों में से कोई) के बाहर स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं ऑफसेट हो जाएंगे यदि, ऑफसेट के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार विद्यमान हैं तो चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसंपत्तियां और समान कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रभारित आयकर से संबंधित आस्थगित कर ऑफसेट हो जाएंगे।

कर नियमों के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आयकर देयता के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है, उसे परिसंपत्ति माना जाता है, यदि वहां प्रत्यायक साक्ष्य विद्यमान हैं कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को तुलनपत्र में परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब यह संभावित हो कि इससे संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

2.18 राजस्व स्वीकृति

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य समझे जाने वाले उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां यह संभावितहो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा, चाहें भुगतान किसी भी समय किया गया हो।

राजस्वी की स्वीकृति से पूर्व नीचे उल्लिखित विशेष स्वीकृति मापपदंड को भी पूरा किया जाना चाहिए-

- कंपनी ने ग्राहकों के स्वामित्व से आकस्मिक जोखिमों और प्रतिफलों को अंतरित किया है।
- कंपनी ना तो सामान्य रूप से स्वामित्व से संबंधित स्तर पर निरंतर प्रबंधकीय संलिप्तता को बनाए रखती है और ना ही बेची गई वस्तुओं पर प्रभावी नियंत्रण बनाती है।
- यह संभावित है कि संव्यवहारों से संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।
- इन्हें विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और इष्टतम एकत्रण की युक्तिसंगत संभावना है।

संविदा राजस्व (निर्माण संविदाएं)

सड़क निर्माण से संबंधित संविदा राजस्व को तुलनपत्र तिथि पर समापन के स्तर के संदर्भ द्वारा राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। परियोजना क समापन का स्तर अनुमानित कुल संविदा लागतों के संबंध में तुलनपत्र तिथि तक निष्पादित कार्य के लिए वहन किए गए संविदागतलागत के अनुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है। निर्माण गतिविधि पर मार्जिन का अनुमान कंपनी द्वारा रियायत करार के अंतर्गत प्रदन की गई निर्माण सेवाओं से संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति (राजस्व) और अमूर्त परिसंपत्ति के उचित मूल्य को प्राप्त करके लगाया जाता है। सड़क निर्माण संविदा पर मार्जिन पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि निर्माण संविदा धारक कंपनी को बैक-टू-बैक आधार पर प्रदान किया गया है।

संविदागत लागत में वह लागतें शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट संविदा से संबंधित हैं और आवंटित लागत सड़क निर्माण से संबंधित है।

2.19 ऋण लागत

ऋण लागत में प्रभावी ब्याज दर विधि के आधार पर ऋण से संबंधित ब्याज, अन्य लागतें शामिल हैं। समान्य एवं विशिष्ट ऋण लागतें प्रत्यक्ष रूप से अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण, उत्पादन या विकास से संबंधित हैं, और ये वे परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित प्रयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में व्यापक समय लगाती हैं जो इन परिसंपत्त्यिों की लागत में वृद्धि करती हैं, जबतक कि परिसंपत्तियां अपने वांछित प्रयोग या बिक्री के लिए व्यापक स्तर पर तैयार नहीं हो जाती हैं। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में उन्हें वहन किया गया है।

उस स्तर तक जहां एक निकाय अर्हक परिसंपत्ति को प्राप्त करने के प्रयोजना से विशिष्ट रूप में निधियों को ऋण के रूप में प्राप्त करता है, निकाय को पूंजीकरण हेतु अपनी अर्हक ऋण लागत की राशि का निर्धारण करना होगा, जो उक्त अवधि के दौरान उस ऋण पर किए गए वास्तविक ऋण लागत घटा इन ऋणों के अस्थायी निवेश पर किसी निवेश आय के रूप में किया जाएगा।

2.20 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के सड़क के अभिकल्प, वित्तीयन, अनुरक्षण, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) के कार्य में संलिप्त होने के कारण, यहां एक से अधिक रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने व्यवसाय को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र सेगमेंट में निष्पादित कर रही है। इसलिए, कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

2.21 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियक्ति पर होते हैं।

2.22 पट्टा

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टा:-

(i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप में परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है, उसे न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

(ii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारोंऔर पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिति दर प्राप्त की जा सके।

(iii) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

(iv) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा -

(**i**) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी में अंतरित नहीं किया जाता है।

(**ii**) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है**,** केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

2.23 **प्रतिशेयर आमदनी**

प्रति शेयर मूल आमदनियों के परिकलन में कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के प्रति वर्ष हेतु निवल लाभ और हानि को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की प्रयुक्तऔसत संख्या से भाग किया जाता है।

प्रति शेयर ह्रासित अर्जन का निर्धारण करने के लिए सभी ह्रासित संभावित इक्विटी शेयरों के लिए इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ और उस विधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को समायोजित किया जाता है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 23 जुलाई 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है औरयह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो में संज्ञान में आए और जो मेरे विचार से इन वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा के बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	**प्रबंधन का उत्तर**
1. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां चालू परिसंपत्तियां रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (नोट 7.2) रूपए 3530.89 लाख रूपए उपर्युक्त राशि में बैंक में सावधि जमा की 2000.00 रूपए की राशि शामिल है, जिसकी मूल परिपक्वता एम वर्ष है और इसे इंड एएस-7 के प्रावधान के विपरीत रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में शामिल किया गया है। इससे रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में 2000.00 रूपए का ओवरस्टेटमेंट और अन्य बैंक शेषों में अंडरस्टेटमेंट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।	तलन पत्र चालू परिसंपत्तियां रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (नोट 7.2) उच्चतर ब्याज अर्जन हेतु परियोजना निर्माण लागतों को पूरा करनेकेलिए66 माह की परिवक्वता अवधि अवधि हेतु 20.00 करोड़ रूपए वाले बैंक सावधि जमा खाते का सृजन किया गया है। अन्य सभी सावधि जमा खाते 3 माह की परिपक्वता अवधि के हैं। बाद में ईपीसी ठेकेदार को भुगतान करनेके लिए दिनांक 19 अप्रैल 2018 को 20.00 करोड़ रूपए के इस सावधि जमा खाते का नकदीकरण किया गया। चूंकि इसका नकदीकरण वित्तीय विवरण की तिथि के समापन से 3 महीने के भीतर किया गया था, इसलिए इस सावधि जमा खाते को रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में वर्गीकृत किया गया है। (यथा तुलन पत्र की तिथि से तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि) तथापि, इस बिंदु को भावी अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्य, नई दिल्ली

कृते एवं की ओर से
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन:07018775)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.09.2018

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग-15, राजस्थान)

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: 91-11-29565666, फैक्स:91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी:busi.info.irconpbtl@gmail.com